M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2434 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S VIMSHUBH INDUSTRIES INDIA PVT. LTD. OFFICE ADDRESS : PLOT NO. 85, SECTOR-1, INDUSTRIAL AREA, GOVINDPURA, BHOPAL - 462023
CONTECT PERSON - MR. ANIL KUMAR SHRIVASTAVA : 8878916788

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	**206192**	**37115**	**243307**	**206192**	**10310**	**38970**	**255472**
2	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	**212985**	**38337**	**251322**	**212985**	**10649**	**40254**	**263888**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग / संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान –** प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग / केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी :** आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते :** उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :- 2435 / 15-9-25

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S VIMSHUBH INDUSTRIES INDIA PVT. LTD. OFFICE ADDRESS** : PLOT NO. 85, SECTOR-1, INDUSTRIAL AREA, GOVINDPURA, BHOPAL - 462023

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2436 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय–विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S KPL EQUIPMENTS PVT. LTD. ADDRESS : PLOT NO - 20 AKVN ACHARRPUR INTHKHEDI BHOPAL **CONTECT PERSON**-LAKHAN THAKUR : MOB - 9827811197

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SHELTER **MODEL 4** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	193756	34876	228632	193756	9688	36620	240064
SWAGAT DWAR								
2	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	206192	37115	243307	206192	10310	38970	255472
3	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR **MODEL 2** WITHOUT SOLAR LIGHT	193536	34836	228372	193536	9677	36578	239791
4	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	212985	38337	251322	212985	10649	40254	263888

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी. ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग/संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Pvt. Ltd. BHOPAL

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

2437
17-9-25

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S KPL EQUIPMENTS PVT. LTD. ADDRESS :** PLOT NO - 20 AKVN ACHARRPUR INTHKHEDI BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎ - 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2430 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S ASHIYANA STEEL FARICATION, ADDRESS : SHRI KRISHNA MANDIR KE PASS RAMKUI GATE BALI SADAK, LASHKAR GWALIOR (MP)
CONTECT POESON- MR. SHAKIR KHAN - PROPRIETOR - MOB - 9827244149

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER **MODEL 3** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	184800	33264	218064	184800	9240	34927	228967
2	PRE FABRICATED BUS SHELTER **MODEL 4** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	193756	34876	228632	193756	9688	36620	240064
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	206192	37115	243307	206192	10310	38970	255472
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR **MODEL 2** WITHOUT SOLAR LIGHT	193536	34836	228372	193536	9677	36578	239791
3	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	212985	38337	251322	212985	10649	40254	263888

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 3

4. सामग्री की गुणवत्ता –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग/संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. भुगतान – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. तकनीकी मापदण्ड : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. अधिरोपित शास्ति : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

2439
17-9-25

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S ASHIYANA STEEL FARICATION, ADDRESS :** SHRI KRISHNA MANDIR KE PASS RAMKUI GATE BALI SADAK, LASHKAR GWALIOR (MP)

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2540 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S BALAJI ENTERPRISES ADDRESS : 6/5 CHOTI GWALTOLI INDORE **CONTECT PERSON**- MR. ANSHUL MITTAL MOB- 9827728815, 7999553033

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	**206192**	**37115**	**243307**	**206192**	**10310**	**38970**	**255472**
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR **MODEL 2** WITHOUT SOLAR LIGHT	**193536**	**34836**	**228372**	**193536**	**9677**	**36578**	**239791**
3	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	**212985**	**38337**	**251322**	**212985**	**10649**	**40254**	**263888**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी. ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग / संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग / क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :- 2541 / 17-9-25

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S BALAJI ENTERPRISES ADDRESS** : 6/5 CHOTI GWALTOLI INDORE

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2410 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S R.K. INDUSTRIES, ADDRESS - 19/1, 20/2 NARELI ARCUDE MANORAMAGANJ INDORE (MP) **CONTACT PERSON** - MR. KHUSRO NISAR : 9826036295

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER **MODEL 3** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	184800	33264	218064	184800	9240	34927	228967
2	PRE FABRICATED BUS SHELTER **MODEL 4** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	193756	34876	228632	193756	9688	36620	240064
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	206192	37115	243307	206192	10310	38970	255472
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR **MODEL 2** WITHOUT SOLAR LIGHT	193536	34836	228372	193536	9677	36578	239791
3	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	212985	38337	251322	212985	10649	40254	263888

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 3

सामग्री की गुणवत्ता –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग/संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई.टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :– 2511 / 17-9-25

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S R.K. INDUSTRIES, ADDRESS** - 19/1, 20/2 NARELI ARCUDE ANORAMAGANJ INDORE (MP)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2426 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S HINDUSTAN FABRICATORS ADDRESS : B-13 SHIVAJI NAGAR, BHOPAL - 462016
CONTECT PERSON : MR.ABHISHEK GOUD - 9039099059

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SHELTER **MODEL 4** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	**193756**	**34876**	**228632**	**193756**	**9688**	**36620**	**240064**
SWAGAT DWAR								
2	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	**206192**	**37115**	**243307**	**206192**	**10310**	**38970**	**255472**
3	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	**212985**	**38337**	**251322**	**212985**	**10649**	**40254**	**263888**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी. ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग/संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी :** आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

2427
17-9-25

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S HINDUSTAN FABRICATORS ADDRESS** : B-13 SHIVAJI NAGAR, BHOPAL - 462016

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2388 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S MAHALAXMI INDUSTRIES, - KANJIYA ROAD KHIMLASA KHURAI DISTT - SAGAR 470118 **CONTECT POESON-** MR. NARAYAN SINGH MO - 9981471295

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 1 WITHOUT SOLAR LIGHT	134624	24232	158856	134624	6731	25444	166799
2	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 2 WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	157024	28264	185288	157024	7851	29678	194553
3	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 3 WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	184800	33264	218064	184800	9240	34927	228967
4	PRE FABRICATED BUS SHELTER MODEL 4 WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	193756	34876	228632	193756	9688	36620	240064
5	PRE FABRICATED BUS SHELTER MODEL 5 WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	153966	27714	181680	153966	7698	29100	190764
6	PRE FABRICATED BUS SHELTER MODEL 6 WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	153865	27696	181561	153865	7693	29080	190639

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 1 WITHOUT SOLAR LIGHT	206192	37115	243307	206192	10310	38970	255472
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR MODEL 2 WITHOUT SOLAR LIGHT	193536	34836	228372	193536	9677	36578	239791
3	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 3 WITH SOLAR LIGHT	212985	38337	251322	212985	10649	40254	263888

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी. ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

   (अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

   (द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

   (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग/संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई.टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. <u>भुगतान</u> – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत <u>"भुगतान पश्चात् भुगतान"</u> की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. <u>तकनीकी मापदण्ड</u> : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

2389
17-9-25

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S MAHALAXMI INDUSTRIES,** - KANJIYA ROAD KHIMLASA KHURAI DISTT - SAGAR 470118

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

दिनांक : 17.09.2025

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2390

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S NEW MALWA AGRO & FABRICATORS - ADDRESS - 81 BASANT VIHAR, DHAR
CONTECT PERSON - MR. MUJIB UR REHMAN KHAN - MOB - 9425046639

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 1 WITHOUT SOLAR LIGHT	134624	24232	158856	134624	6731	25444	166799
2	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 2 WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	157024	28264	185288	157024	7851	29678	194553
3	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 3 WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	184800	33264	218064	184800	9240	34927	228967
4	PRE FABRICATED BUS SHELTER MODEL 4 WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	193756	34876	228632	193756	9688	36620	240064
5	PRE FABRICATED BUS SHELTER MODEL 5 WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	153966	27714	181680	153966	7698	29100	190764
6	PRE FABRICATED BUS SHELTER MODEL 6 WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	153865	27696	181561	153865	7693	29080	190639

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 1 WITHOUT SOLAR LIGHT	206192	37115	243307	206192	10310	38970	255472
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR MODEL 2 WITHOUT SOLAR LIGHT	193536	34836	228372	193536	9677	36578	239791
3	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 3 WITH SOLAR LIGHT	212985	38337	251322	212985	10649	40254	263888

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :-

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी. ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

   (अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

   (द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

   (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग/संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई.टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. <u>भुगतान</u> – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **<u>"भुगतान पश्चात् भुगतान"</u>** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. <u>तकनीकी मापदण्ड</u> : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :– 2391 / 17-9-25

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S NEW MALWA AGRO & FABRICATORS** - 81 BASANT VIHAR, DHAR

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2392 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय–विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S NANDLAL STEEL INDUSTRIES, ADDRESS - PLOT NO. 02, INDUSTRIAL AREA, CHHATARPUR (MP) - 471001 **CONTECT PERSON** - MR. ABHISHEK MADAAN : MOB - 9425140746 E-MAIL : nandlalsteelindustries@gmail.com

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER **MODEL 3** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	**184800**	**33264**	**218064**	**184800**	**9240**	**34927**	**228967**
2	PRE FABRICATED BUS SHELTER **MODEL 4** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	**193756**	**34876**	**228632**	**193756**	**9688**	**36620**	**240064**
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	**206192**	**37115**	**243307**	**206192**	**10310**	**38970**	**255472**
2	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	**212985**	**38337**	**251322**	**212985**	**10649**	**40254**	**263888**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी. ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग/संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

8. **वारण्टी :** आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

2393
17-9-25

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खदय प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S NANDLAL STEEL INDUSTRIES, ADDRESS** - PLOT NO. 02, INDUSTRIAL AREA, CHHATARPUR (MP) - 471001

प्रबंधक (विपणन)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2394 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S PUNA IRON INDUSTRIES, OFFICE ADDRESS : IN FRONT OF PANDEY BUILDING, BADABAGH, NEEM CHOWK REWA (MP) **CONTECT** - RAMAKANT PANDEY : 9090871100

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER **MODEL 3** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	184800	33264	218064	184800	9240	34927	228967
2	PRE FABRICATED BUS SHELTER **MODEL 4** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	193756	34876	228632	193756	9688	36620	240064
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	206192	37115	243307	206192	10310	38970	255472
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR **MODEL 2** WITHOUT SOLAR LIGHT	193536	34836	228372	193536	9677	36578	239791
3	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	212985	38337	251322	212985	10649	40254	263888

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

---- 2

आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 3

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी. ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग/संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

M P State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

GSTIN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख

8. **वारण्टी :** आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

2395
17-9-25

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S PUNA IRON INDUSTRIES, OFFICE ADDRESS** : IN FRONT OF PANDEY BUILDING, BADABAGH, NEEM CHOWK REWA (MP)

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎ - 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2396 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय–विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S SADGURU SAI INFRA WORLD, PVT. LTD. NEAR AIP AAY VARG SOCIETY OFFICE, SANJAY NAGAR, REWA - 486001 (MP) **CONTACT** -UDAY PRAKASH SINGH : 8085253636

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	**206192**	**37115**	**243307**	**206192**	**10310**	**38970**	**255472**
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR **MODEL 2** WITHOUT SOLAR LIGHT	**193536**	**34836**	**228372**	**193536**	**9677**	**36578**	**239791**
3	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	**212985**	**38337**	**251322**	**212985**	**10649**	**40254**	**263888**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग / संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग / क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

2397
17-9-25

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S SADGURU SAI INFRA WORLD, PVT. LTD. OFFICE ADDRESS** - NEAR AIP AAY VARG SOCIETY OFFICE, SANJAY NAGAR, REWA - 486001 (MP)

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎ 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2398 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय–विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S SHREE VASHNAV INDUSTRIES,
ADDRESS : 63-64, SECTOR-H, INDUSTRIAL AREA, GOVINDPURA, BHOPAL - 462023
CONTECT PERSON- MR. UDAY PRATAP SINGH, PROPRIETOR : 9826902158

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	**206192**	**37115**	**243307**	**206192**	**10310**	**38970**	**255472**
2	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	**212985**	**38337**	**251322**	**212985**	**10649**	**40254**	**263888**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग / संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग / क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

2399
17-9-25

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S SHREE VASHNAV INDUSTRIES, ADDRESS :** 63-64, SECTOR-H, INDUSTRIAL AREA, GOVINDPURA, BHOPAL - 462023

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2400 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय–विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S SHREE FEB CHEM INDUSTRIES,
OFFICE ADDRESS : 51, UDYOG VIHAR CHORAHATA REWA - 486001
CONTECT PERSON - MR. SHAILENDRA PANDAY : 9425185379

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER **MODEL 3** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	184800	33264	218064	184800	9240	34927	228967
2	PRE FABRICATED BUS SHELTER **MODEL 4** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	193756	34876	228632	193756	9688	36620	240064
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	206192	37115	243307	206192	10310	38970	255472
2	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	212985	38337	251322	212985	10649	40254	263888

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. दरों की प्रभावशीलता : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

आदेश की प्रक्रिया : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

---- 3

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. * BHOPAL *

4. सामग्री की गुणवत्ता –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग/संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई.टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. भुगतान – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. तकनीकी मापदण्ड : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. अधिरोपित शास्ति : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

2401
17-9-25

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खदय प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S SHREE FEB CHEM INDUSTRIES, OFFICE ADDRESS** : 51, UDYOG VIHAR CHORAHATA REWA - 486001

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2462 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय–विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S SINGRAUL MOTORS, - SHED NO 3, TYPE-D, SECTOR-I, GOVINDPURA, BHOPAL (MP)
CONTECT PERSON- MR. SAURABH SINGH SINGHROUL, MOB - 9424907533
G-MAIL : mr.saurabhsingh99@gmail.com

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER **MODEL 3** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	184800	33264	218064	184800	9240	34927	228967
2	PRE FABRICATED BUS SHELTER **MODEL 4** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	193756	34876	228632	193756	9688	36620	240064
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	206192	37115	243307	206192	10310	38970	255472
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR **MODEL 2** WITHOUT SOLAR LIGHT	193536	34836	228372	193536	9677	36578	239791
3	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	212985	38337	251322	212985	10649	40254	263888

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

दरों की प्रभावशीलता : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

आदेश की प्रकिया : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

सामग्री की गुणवत्ता –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी. ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग/संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. भुगतान – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. तकनीकी मापदण्ड : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. अधिरोपित शास्ति : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :- 2403 / 17-9-25

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S SINGRAUL MOTORS,** - SHED NO 3, TYPE-D, SECTOR-I, GOVINDPURA, BHOPAL

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. * BHOPAL *

प्रबंधक (विपणन)

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2404 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S ANSH KRISHI UDYOG AND FEBRICATERS : INFRONT INDIAN GAS GODAM, MAIDANI HUZUR REWA(MP)-486001 **CONTECT** - SMT YOGITA SINGH MO-9131889282

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SHELTER **MODEL 4** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	193756	34876	228632	193756	9688	36620	240064
SWAGAT DWAR								
2	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	206192	37115	243307	206192	10310	38970	255472

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी. ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

M.P. State Agro Ind. Development Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एक्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बॉडीज (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग / संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग / केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. M.P. BHOPAL

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :- 2405 / 17-9-25

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S ANSH KRISHI UDYOG AND FEBRICATERS :** INFRONT INDIAN GAS GODAM, MAIDANI HUZUR REWA(MP)-486001

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. * BHOPAL *

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2406 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S A-ONE WELDING WORKS, BALWADI,TEHSIL SENDHWA WARLA ROAD, DISTT. BADWANI (MP) - 451666 **CONTECT PERSON** - MR.SAIFFUDDIN MO-9090919158

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	206192	37115	243307	206192	10310	38970	255472
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR **MODEL 2** WITHOUT SOLAR LIGHT	193536	34836	228372	193536	9677	36578	239791
3	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	212985	38337	251322	212985	10649	40254	263888

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग / संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग / क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

2467
17-9-25

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S A-ONE WELDING WORKS,** BALWADI,TEHSIL SENDHWA WARLA ROAD, DISTT. BADWANI (MP) - 451666

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2408 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S GANGA INDUSTRIES
ADDRESS - NEAR KRISHI UPAJ MANDI, A.B. ROAD, DEWAS - 455001 (MP)
CONTECT PERSON - MR. MANOJ RAJANI : 9425048585

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	**206192**	**37115**	**243307**	**206192**	**10310**	**38970**	**255472**
2	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	**212985**	**38337**	**251322**	**212985**	**10649**	**40254**	**263888**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी. ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग / संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग / क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :– 2409 / 17-9-25

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खदय प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S GANGA INDUSTRIES, ADDRESS** - NEAR KRISHI UPAJ MANDI, A.B. ROAD, DEWAS - 455001 (MP)

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2412 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S MAHALAXMI SOLAR ENTERPRISES -
ADDRESS : VILLAGE POST KHIMLASA TEHSIL KHURAI DISTT -SAGAR 470118
CONTECT POESON- MR. NARAYAN SINGH MOB - 9981471295

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 1 WITHOUT SOLAR LIGHT	134624	24232	158856	134624	6731	25444	166799
2	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 2 WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	157024	28264	185288	157024	7851	29678	194553
3	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 3 WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	184800	33264	218064	184800	9240	34927	228967
4	PRE FABRICATED BUS SHELTER MODEL 4 WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	193756	34876	228632	193756	9688	36620	240064
5	PRE FABRICATED BUS SHELTER MODEL 5 WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	153966	27714	181680	153966	7698	29100	190764
6	PRE FABRICATED BUS SHELTER MODEL 6 WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	153865	27696	181561	153865	7693	29080	190639

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 1 WITHOUT SOLAR LIGHT	206192	37115	243307	206192	10310	38970	255472
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR MODEL 2 WITHOUT SOLAR LIGHT	193536	34836	228372	193536	9677	36578	239791
3	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 3 WITH SOLAR LIGHT	212985	38337	251322	212985	10649	40254	263888

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी. ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

   (अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

   (द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

   (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग/संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई.टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. <u>भुगतान</u> – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत <u>"भुगतान पश्चात् भुगतान"</u> की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. <u>तकनीकी मापदण्ड</u> : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

2413
17-9-25

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S MAHALAXMI SOLAR ENTERPRISES - ADDRESS :** VILLAGE POST KHIMLASA TEHSIL KHURAI DISTT -SAGAR 470118

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2420 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय–विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S MANISH FABRICATION, NEW OLD FORT, GOURJHA-MAR, DISTT. SAGAR - 470223 (MP) **CONTECT PERSON-** RAJKUMAR VISHWAKARMA : 9893343199, 7000296652

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	206192	37115	243307	206192	10310	38970	255472
2	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	212985	38337	251322	212985	10649	40254	263888

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

   (अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

---- 2

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग / संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग / केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

M.P. State Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 4

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :- 2421 / 17-9-25

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S MANISH FABRICATION,** NEW OLD FORT, GOURJHA-MAR, DISTT. SAGAR - 470223 (MP)

प्रबंधक (विपणन)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2414 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S SHRI SHIV SHAKTI KRISHI YANTRA - ADDRESS : KHIMLASA (KHURAI) DISTT. SAGAR (MP) **CONTECT PERSON** - MANISH RICHARIYA - 9893549074

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SHELTER **MODEL 4** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	193756	34876	228632	193756	9688	36620	240064
SWAGAT DWAR								
2	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	206192	37115	243307	206192	10310	38970	255472
3	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR **MODEL 2** WITHOUT SOLAR LIGHT	193536	34836	228372	193536	9677	36578	239791
4	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	212985	38337	251322	212985	10649	40254	263888

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी. ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग/संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

---- 4

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

2415
17-9-25

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S SHRI SHIV SHAKTI KRISHI YANTRA - ADDRESS :** KHIMLASA (KHURAI) DISTT. SAGAR (MP)

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2416 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S ANIL INDUSTRIES : P. HALKA NO. 6 49/2, KANJIA ROAD, KHIMLASA (KHURAI) DISTT. SAGAR (MP) - 470118 **CONTECT PERSON-** MR. ANIL RICHARIYA, 9993180433

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	206192	37115	243307	206192	10310	38970	255472
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR **MODEL 2** WITHOUT SOLAR LIGHT	193536	34836	228372	193536	9677	36578	239791
3	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	212985	38337	251322	212985	10649	40254	263888

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी. ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग / संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग / केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :- 2417 / 17-9-25

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S ANIL INDUSTRIES :** P. HALKA NO. 6 49/2, KANJIA ROAD, KHIMLASA (KHURAI) DISTT. SAGAR (MP) - 470118

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2418 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S PALAK AGRO INDUSTRIES, G FLOOR PLOT NO. 10 KHASRA NUMBER 273, GRAM GENHUKHEDA, KOLAR ROAD, BHOPAL **CONTECT** - MR. YASH NAGAR, MOB - 9425458731

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER **MODEL 3** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	184800	33264	218064	184800	9240	34927	228967
2	PRE FABRICATED BUS SHELTER **MODEL 4** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	193756	34876	228632	193756	9688	36620	240064
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	206192	37115	243307	206192	10310	38970	255472
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR **MODEL 2** WITHOUT SOLAR LIGHT	193536	34836	228372	193536	9677	36578	239791
3	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	212985	38337	251322	212985	10649	40254	263888

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. दरों की प्रभावशीलता : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 3

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी. ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग/संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

2419
17-9-25

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S PALAK AGRO INDUSTRIES,** G FLOOR PLOT NO. 10 KHASRA NUMBER 273, GRAM GENHUKHEDA, KOLAR ROAD, BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2422 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S JAI RAM TROLLY, ADDRESS - BUILDING NO. / FLAT NO.
OLD NO. 329101, VILLAGE MAIDANI REWA (MP) - 486001
CONTECT PERSON- MR. JAI SINGH GAHARWAR MO - 9325202793

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SHELTER **MODEL 4** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	193756	34876	228632	193756	9688	36620	240064
SWAGAT DWAR								
2	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	206192	37115	243307	206192	10310	38970	255472

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. <u>दरों की प्रभावशीलता</u> : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

2. <u>आदेश की प्रक्रिया</u> : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी. ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग/संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. LTD. BHOPAL

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :- 2423 / 17-9-25

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S JAI RAM TROLLY, ADDRESS** - BUILDING NO. / FLAT NO. OLD NO. 329101, VILLAGE MAIDANI REWA (MP) - 486001

प्रबंधक (विपणन)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2424 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S RAJ CHEMICAL INDUSTRIES ADDRESS : PLOT NO. 26-27, BAILGADI INDUSTRIAL AREA, MAHOBA BYPASS ROAD, CHHATARPUR (M.P.)
CONTECT PERSON - MR. RAJDEEP RICHHARIYA: 9617796889

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	206192	37115	243307	206192	10310	38970	255472
2	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	212985	38337	251322	212985	10649	40254	263888

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी. ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग / संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग / केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी :** आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते :** उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :– 2425 / 17-9-25

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S RAJ CHEMICAL INDUSTRIES ADDRESS** : PLOT NO. 26-27, BAILGADI INDUSTRIAL AREA, MAHOBA BYPASS ROAD, CHHATARPUR (M.P.)

प्रबंधक (विपणन)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2428 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S TRUE VISION INC OFFICE ADDRESS : 205, PRAMILA PLAZA NEAR CHAUHAN PIYAU, THTIPUR, GWALIOR **CONTECT PERSON** - HARI MOHAN BOHRE : 7999019721

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER **MODEL 3** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	**184800**	**33264**	**218064**	**184800**	**9240**	**34927**	**228967**
2	PRE FABRICATED BUS SHELTER **MODEL 4** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	**193756**	**34876**	**228632**	**193756**	**9688**	**36620**	**240064**
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	**206192**	**37115**	**243307**	**206192**	**10310**	**38970**	**255472**
2	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	**212985**	**38337**	**251322**	**212985**	**10649**	**40254**	**263888**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd.

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्तें, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 3

4. सामग्री की गुणवत्ता –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी. ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग/संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. भुगतान – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. अधिरोपित शास्ति : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :- 2429 / 17-9-25

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S TRUE VISION INC OFFICE ADDRESS** : 205, PRAMILA PLAZA NEAR CHAUHAN PIYAU, THTIPUR, GWALIOR

प्रबंधक (विपणन)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2430 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S VIDUSHI ENTERPRISES, ADDRESS RATH ROAD, NARAYAN GANJ, HARPALPUR, DISTT. CHHATARPUR (MP) - 471111 **CONTECT PERSON** - KAVITA MADAAN : 9826840746 E-MAIL : vidushienterpriseshpp@gmail.com

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER **MODEL 3** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	184800	33264	218064	184800	9240	34927	228967
2	PRE FABRICATED BUS SHELTER **MODEL 4** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	193756	34876	228632	193756	9688	36620	240064
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	206192	37115	243307	206192	10310	38970	255472
2	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	212985	38337	251322	212985	10649	40254	263888

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. दरों की प्रभावशीलता : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी. ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग/संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

2431
17-9-25

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S VIDUSHI ENTERPRISES,** RATH ROAD, NARAYAN GANJ, HARPALPUR, DISTT. CHHATARPUR (MP) - 471111

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

दि. मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
मुख्यालय : पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल - 462003
फोन : (0755) - 2551756, 2551967 E-Mail : mpagrohobpl@gmail.com
Website : www.mpstateagro.org (CIN NO. U01119MP1969SGC001055)

मुख्या / विपणन / YP & SD - 09 / 2025–26 / 1499 दिनांक : 23.07.2025

:: कोरीजेण्डम ::

TENDER REFERENCE NUMBER	:	HO : MKTG / YATRI-PRITIK. SWAGAT DWAR/ 2025-26/1173 Dated : 08.07.2025
TENDER ID	:	2025_AGRO_435896_1

(A) DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION & TECHNICAL DRAWINGS OF YATRI PRITIKSHALAYA - PAGE NO - 34-52

FOLOWING CLAUSE IS REPLASED :-	SHOULE BE READE AS UNDER :-
YATRI PRITIKSHALAYA MODEL NO. 2, 3 & 4 उक्त सभी मॉडलों की ड्राईंग–डिजाईन एवं स्पेसिफिकेशन में 2 नग 16 वॉट सोलर लाईट लगाने का प्रावधान है।	यात्री प्रतीक्षालय मॉडल नम्बर 2, 3 एवं 4 की ड्राईंग–डिजाईन एवं स्पेसिफिकेशन में 2 नग 16 वॉट सोलर लाईट के स्थान पर यात्री प्रतीक्षालय से हटकर दांयी अथवा बांयी ओर 40 वॉट सोलर स्ट्रील लाईट विथ 6 मीटर हाईट पोल के साथ लगायी जानी है। उक्त से संबंधित ड्राईंग डिजाईन एवं स्पेसिफिकेशन संलग्न है। अन्य नियम एवं शर्ते यथावत रहेंगी।

प्रबंधक (विपणन)
23/7/25

Estimate
786
D
648

TECHNICAL REPORT

Name of Work :- Estimate for Estimate for Installation of Street light 40 W LED lights on 6m pole

Estimated Cost :- ₹ 28696=00

Department :- M. P. AGRO. Industries development Corporation Limited Bhopal

Provision :- provision has been made for installation of 40 W LED light on 7 m high mast, fully charged by solar PV modules.

Rates :- Rates in this estimate are as per P.W.D, S.O.R enforce from January 1, 2024.

Sanction Estt No. 757 /TS/EE E/M Dn.1 24-25
Amount of Rs. 24489=00/-only
Under the Head 8443
Date 22-10-24

Specifications :- The work will be carried out as per MPPWD (E/M) specifications

Executive Engineer
P.W.D. E/M Dn.No.-1, Bhopal

Executive Engineer
P.W.D.E/M Dn.No.1,Bhopal

अधीक्षण यंत्री (वि. नि.)
म.प्र.वि.वि. वि/वा. मण्डल
भोपाल (म.प्र.)

1/6

Estimate for Installation of 40 Watt LED light on 6 m High pole

S. no	Sor Item No	SOR	Description of item	Qty	Unit	Rate	Amount
1	41.12	G.I. pipe for protection of under ground cable	Supplying & installing G.I. pipe for protection of underground cable fixed on wall/support/in trench/fixed between two rigid existing support of wall/beam for erection of ceiling Fan/down rod for stiff pendent for light luminaries /fan/protective for earthing, lightening conductor down strip/overhead service line/for submersible cable or centrifugal pump for water supply with necessary iron clamp coupler, bend, tee, elbow, nuts and bolts etc. complete in an approved manner as required to complete excluding cost of excavation/dismantling & other finished masonry Item complete.				
	41.12.1	For 'B' class pipe	For 'B' class pipe ISI marked (IS-1161-68)				
	41.12.1.7	65.00mm	65.00mm	6	Meter	693	4158
2	42.23	Erection of metallic street light pole length exceeding 3 meters but not exceeding 6 meters	Erection of metallic street light pole length 3 meters but not exceeding 6 meters in cement concrete M-10 (1cement:3coarse sand:6 graded stone aggregate 40mm nominal size) foundation with cement concrete collar of size 0.4 meters diameter x 0.5 meters height to accommodate the looping type cable end box including excavation and refilling etc. as required.	1	Each	2421	2421
3	Non SOR	Battery	Supply and installation of 12V 36 Ah capacity Lithium ferro Phosphate battery BIS approved having output voltage as 12.8 V and suitable battery management system for cell balancing, over charge and over temperature protection DOD 80% life cycle 2000	1	Each	9990	9990

Non SOR	Charge controller	Supply and installation inside the control panel ,Solar charge controller type PWM/ MPPT type as per EN 51530 . Charge controller rating 10A.Module rating 110Wp @ 16.4 V plus minus 2V.Open circuit voltage >21V, Vmp 16.4 V	1	Each	699	699
Non SOR	PV module	Supply and installation of 80 Wp MNRE approved polycrystalline half cut PV module protected with toughened glass, open circuit voltage 21.4V minimum, conforming to IEC 61215 and IEC 61370, having terminal box as per standard practice and condition performance warranty min 25 yrs. Module efficiency must be more than 20%.	1	Each	4443	4443
42.39	19/20mm dia. M.S. pipe 1 meter in length for lights	Supplying and fixing of 19mm/20mm dia. M.S. pipe 1 meter in length for CFL/LED street light/bulkhead/water tight bracket including bending to shape and wiring with 1.5sqmm W.P./PVC wire etc. as required.	1	Each	279	279
19.1	Single core PVC insulated FRLS cable	Supplying and drawing Single core PVC insulated cable FRLS with copper multi strand conductor ISI marked in existing rigid PVC casing and capping/conduit in surface or concealed as per specification.				
19.3.1		1 X 4.00 sq. mm.	10	Meter	45	450

783 4
605

8	Non SOR	Light Source	White light emitting Diode (W-Led) 40 Watt , W-LED luminaire as required, dispersed beam, soothing to eyes with the use of proper optics and diffuser. LED Chip should be compliance to IEC (Approved Method for Measuring Lumen Maintenance of LED Light Sources and LED lumen depreciation time to LM 70). Test report for same should be submitted.	1	N	1750	1750
9	Non SOR	LDR	Supply and fixing of AC Auto day/Night on off photocell sensor LDR switch for lighting waterproof IP 65 20A			299	299
			Total				24489
			Contingency and margin 3.5%				857
			Add GST 12% on solar Component :- (3+4+5+7+8+9) on 17631				2116
			Add GST 18% on solar Component :- (1+2+6)) on 6858				1234
			Net Total				**28696**

T/Sanction Estt No. 757 /TS/EE E/M Dn.1 24-25
Amount of Rs. 24,489 = only
Under the Head 8443
Date 22-10-24

Executive Engineer
P.W.D. E/M Dn.No.-1, Bhopal

Lapsh
अधीक्षण यंत्री (सेवानि.)
लो. नि.वि. [illegible]

4/6

Drawing of 40 Watt LED light on 6 m High pole All in One, Integrated Light

(5)

(782) 60

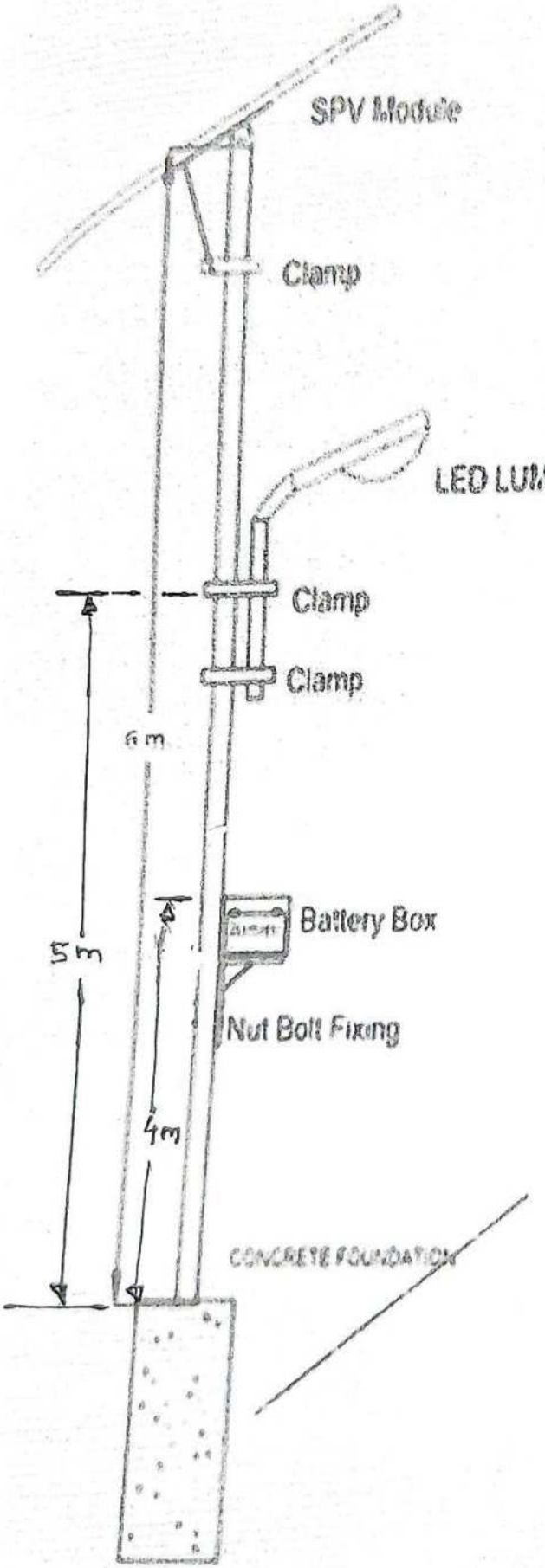

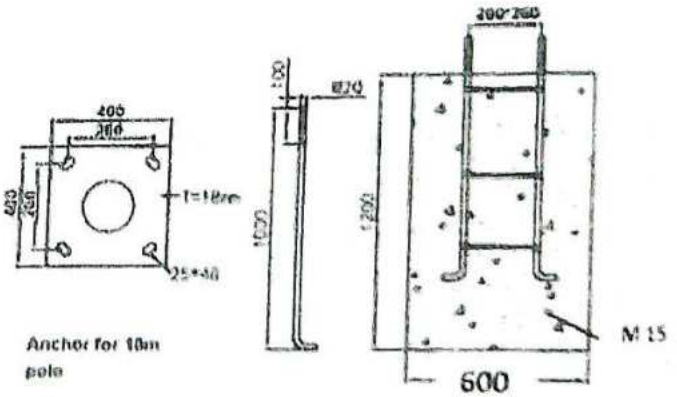

MATERIAL LIST		
S.	Description	Qt
1	SPV Module 80 Watt (Branded)	1
2	LED 40 watt1(Branded) with box	1
3	Lithium Ferro Phosphate Battery 36 Ah (Branded)	1
4	G.I. round pole 6 m long	1
5	MPPT Charge Controller	1
6	Foundation	1
7	Clamp	2

LIST OF APPROVED MATERIAL

S.NO.	NAME OF ITEMS	SUGGESTIVE MAKE	CERTIFICATION BY/SUGGESTIVE STANDARD
1	SOLAR PV MODULE	WAAREE,LOOM,TATA OR EQUIVALENT	MNRE
2	SOLAR BATTERY	LITPAX OR EQUIVALENT	AS PER BIS
3	CHARGE CONTROLLER	AMIEI SMART, OR EQUIVALENT	MNRE AT
4	POLYGONAL/SERCULAR HIGH MAST	SURYA, UTKARSH,BAJAJ OR EQUIVALENT	BIS
5	INVERTER	LUMINOUS, EXIDE, MICROTEK OR EQUIVALENT	BIS
6	LDR SENSOR	EYESENSE OR EQUIVALENT	
7	F.R.L.S (FIRE RATED LOW SMALL) COPPER CONDUCTOR	ANCHOR, HAVELLS, FINOLEX OR EQUIVALENT	BIS
8	MCB/ISOLATOR	HAVELLS, C&S,L&T,LEGENDS OR EQUIVALENT	BIS
9	SPN DB	HAVELLS, C&S OR EQUIVALENT	BIS
10	STREET LIGHT LED	PHILIPS, CROMPTON, WIPRO OR EQUIVALENT	BIS
11	G. I. PIPE	SWASTIK, SURYA OR EQUIVALENT	BIS
12	LIGHTING CONDUCTOR	AS PER STANDARD PRACTICE	BIS
13	G.I. WIRE	TATA, SAIL OR EQUIVALENT	BIS
14	G.I. STRIP	TATA, SAIL, OR EQUIVALENT	BIS
15	LT PANEL	FABRICATION ITEM	
16	HARDWARE	TATA, SAIL OR EQUIVALENT	BIS
17	STEEL FOR REINFORCEMENT	TATA, BANSAL, MOIRA OR EQUIVALENT	BIS
18	PERMANENT MEGNET GENERATOR MOTOR	STANDARD MAKE	STANDARD MAKE
19	WIND TURBINE	IYSERT,INVERTER, TULIP, IRIS OR EQUIVALENT	STANDARD MAKE

DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION & TECHNICAL DRAWINGS OF YATRI-PRITIKSHALAYA AND SWAGAT DWAR

(i) PRE FABRICATED BUS SELTER **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT (Drawing & Specification attached).

(ii) PRE FABRICATED BUS SELTER **MODEL 2** WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT (Drawing & Specification attached).

(iii) PRE FABRICATED BUS SELTER **MODEL 3** WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT (Drawing & Specification attached).

(iv) PRE FABRICATED BUS SELTER **MODEL 4** WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT (Drawing & Specification attached).

(v) PRE FABRICATED BUS SELTER **MODEL 5** WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT (Drawing & Specification attached).

(vi) PRE FABRICATED BUS SELTER **MODEL 6** WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT (Drawing & Specification attached).

(vii) SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT (Drawing & Specification attached).

(viii) SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR **MODEL 2** WITHOUT SOLAR LIGHT (Drawing & Specification attached).

(ix) SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT (Drawing & Specification attached).

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

Specifications Of Yatri Pratikshalay (Sthai Bus Stop Shade)Model 1

1. **A Side Frame**: Side frame shall be made of 65 x 65x 3 mm, square hollow section and 1.0 mm. MS sheet with two coat enamel painting fixed by welding or riveting on the both side of the frame as per standard practice size as shown in the drawing.
2. **B Floor-** Floor of the shelter shall be made of RCC With 12 mm, TMT Bar & M-15 grade of concrete up to 200 mm height with in build frame of shuttering followed by flower paint over it after curing.
3. **Roof Frame-** Roof frame shall be made of 50 x 50 x 2 mm. square M.S. section followed by 1 mm thick G.I. sheet is fitted for roof with two coat enamel coating/painting as per consignee instructions.
4. **D Back frame-** Back frame shall be made of hollow pallet Section 65 x 65 x 1.6 mm over it 1 mm. G.1. sheet is fitted and fastened with back frame pipe made of 50 x 50 x 1 mm. hollow square M.S. pipe.
5. **E Chair-** Chair 2 No. as per requirement is fixed in concrete base shall be made of main frame made of 50 x 50 x 2 mm. Round M.S. pipe of standard practice with G.I. sheet over with two coat of enamel colour over it as per consignee instructions as shown in drawing attached
6. **F Railing** - 2 Nos of railing shall be made of 40 mm diameter G.1. pipe without colour or M.S. pipe with two coat of enamel colour over it as per consignee instructions as shown in drawing attached.
7. **G Front Sign Board-** Front sign board shall be made of main frame by hollow pipe/pallet Section 50 x 50 x 1.6 mm. and 1.0 mm. G.1. Sheet fitted over it or board fully made of 1.0 mm. Sheet this board is placed over the top of the shade.
8. **H Foundation** - Four number of column (Anchor Bolt type) shall be made of 4 no. of 12mm.TMT bar with 8 mm Base plate for each Column shall be M15. The foundation shall be properly designed as per the strata of the location and standard codes.
9. **Curing** - Whole concrete shall be cured for at least 14 days as per IS 456.
10. **Floor Painting-** Floor of the Yatri pratikshalaya shall be painted by two coat enamel paint after two coat primer.
11. **Finishing-** Whole structure shall be painted by two coat enamel paint after two coat primer.
12. **Sign Board Printing** -Sign board shall be printed with Scheme Name & year of Sanction, work start date, Work Completion date, Gram Panchayat name as per Consignee & Scheme instructions.
13. **Structure-** the structure shall be properly designed as per prevailing code of Practice before installation at particular location.

Dr.Junied Raheem
Assistant Professor and Consultant
Department of Civil Engineering
MANIT Bhopal

Schematic Drawing of Yatri Pratikshalaya (Sthayi Bus stop Shade) Model 1

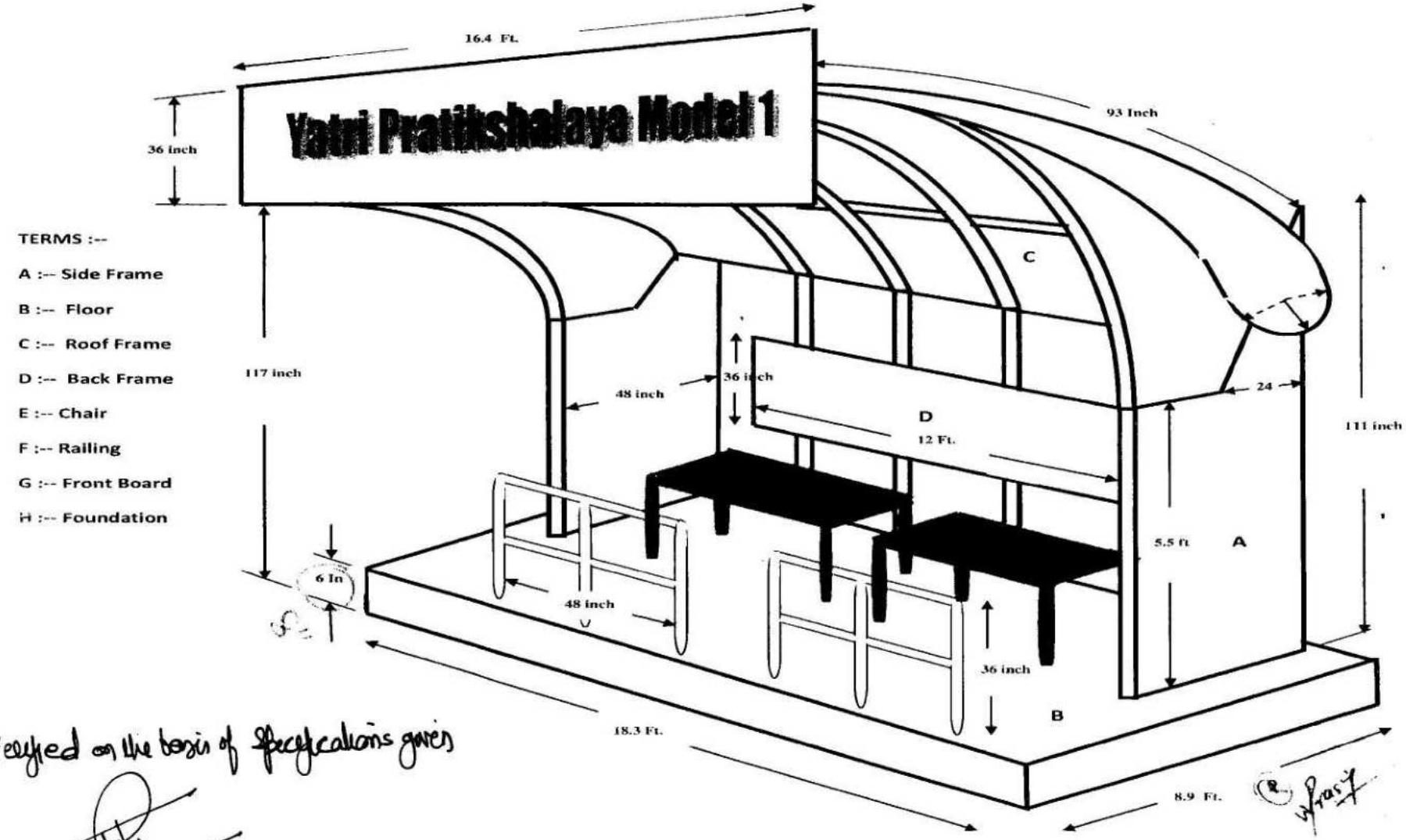

Verified on the basis of specifications given

Dr. Juned Raheem
Assistant Professor and Consultant
Department of Civil Engineering
MANIT, Bhopal

352

33

Specifications of Yatri Pratishalaya (Sthayi Bus stop Shade) Model-2 (With Solar Light)

1. **A Side Frame**: Side frame shall be made of 65 x 65x 3 mm square hollow section and 1.0 mm. GI sheet with two coat enamel painting fixed by welding or riveting on the both side of the frame as per standard practice size as shown in the drawing attached.
2. **B Floor-** Floor of the shelter shall be made of RCC With 12 mm TMT Bar & M 15 grade of concrete up to 200 mm height with in build frame of shuttering followed by flower paint over it after curing.
3. **C Roof Frame** -Roof frame shall be made of 50 x 50 x 2 mm square M.S. section followed by 1 mm thick G.I. sheet is fitted for roof with two coat enamel coating/painting as per consignee instructions.
4. **D Back frame-** Back frame shall be made of square tube 50 x 50 x 2 mm M.S. Square Pipe or Pallet Section of Standard Practice, over it 1 mm. G.I sheet is fitted and fastened with back frame.
5. **E Chair-** Chair 2 No, as per requirement is fixed in concrete base shall be made of main frame made of 50 mm. Square /round pipe and support frame 25 x 25 mm square pipe with M.S. sheet with two coat of enamel colour over it as per consignee instructions as shown in drawing attached.
6. **F Railing-**2 No. of railing shall be made of 40 mm. diameter G.I. pipe without colour or M.S. pipe with two coat of enamel colour over it as per consignee instructions as shown in drawing attached.
7. **G Front Sign Board-** Front sign board shall be made of 50x50x3 mm. frame by hollow Square Pipe/Pallet of standard Practice and 1.0 mm G.I. sheet panel fitted over it.
8. **H Foundation-** Four number of column (Anchor Bolt type) shall be made of 4 no. of 12mm. TMT bar with 8 mm Base plate for each Column shell be M15. The foundation shall be properly designed as per the strata of the location and standard codes.
9. **Curing**: Whole concrete shall be cured for at least 14 days as per IS 456.
10. **Floor Painting:--** Floor of the Yatri pratichalaya shall be painted by two coat enamel paint after two coat primer.
11. **Finishing:** Whole structure shall be painted by two coat enamel paint after two coat primer.
12. **Sign Board Printing:-** Sign board shall be printed with Scheme Name & year of Sanction, work start date, Work Completion date, Gram Panchayat name as per Consignee & Scheme instructions.
13. **Structure:--** The structure shall be, properly designed as per prevailing code of Practice before installation of Location.
14. **Solar Light-**2 No. 16 watt each solar light shall be fitted in the shelter.

Dr. Juned Raheem
Assistant Professor and Consultant
Department of Civil Engineering
MANIT

(350)

SPECIFICATIONS OF 16 WATT SOLAR LIGHT FOR MODEL 2

White Light Emitting Diode (W-LED) is a solid state device which emits light when forward electric current passes through it. A LED based solar street lighting system consists of a PV Module, control electronics, battery, and W-LED based Luminaries, all suitably mounted on a Pole. The battery is charged by electricity generated through the PV module during day time and the luminary provides light from dusk to dawn.

Light Source	White Light Emitting Diode (W-LED) LED
Light Out put	White colour (colour temperature 55000 -65000 K) minimum 15 LUX when measured at the periphery of 4 meter diameter from a height of 4 meter. The illumination should be uniform without dark bands or abrupt variations, and soothing to the eye. Higher light output will be preferred.
Mounting of light	2 to 4 meter mounted
PV Module	40 Wp under STC, measured at 16.4 V at load. Module of minimum of 21V- (For 16W Model)
Battery	12 V- 40 AH @ C/10, Max DoD 75%. Tubular OR 12 V- 40 AH @ C/10, Max DoD 75%. Tubular Lead Acid Floated (For 16W Model) 12 V- 60 AH @ C/10, Max DoD 75%. Tubular OR 12 V- 60 AH @ C/10, Max DoD 75%. Tubular Lead Acid Floated
Electronics Efficiency	Min 85% total
Duty Cycle	Dusk to dawn
Autonomy	3 days or Minimum 42 operating hours per permissible discharge

OTHER DETAILS

DUTY CYCLE

The W-LED solar street lighting system should be designed to operate from dusk to dawn, under average daily insolation of 5.5 kWh /sq.m. on a horizontal surface.

LIGHT SOURCE

1. The light source will be a white LED type.
2. The colour temperature of white LED used in the system should be in the range of 55000 K–65000
3. W-LEDs should not emit ultraviolet light. K.
4. The light output from the white LED light source should be constant throughout the duty cycle.
5. The lamps should be housed in an assembly suitable for outdoor use.
6. The temperature of heat sink should not increase more than 20oC above ambient temperature during the dusk to dawn operation.

BATTERY

1. 12V, 45Ah and 12V, 60Ah lead Acid, Tubular Positive Plate flooded electrolyte.
2. The battery will have a minimum rating of 12V, 45Ah and 12V 60Ah at C/10 discharge rate.
3. 75 % of the rated capacity of the battery should be between fully charged and load cut off conditions.
4. Battery should conform to the standard make.

MODEL 2

ELECTRONICS

1. The total electronic efficiency should be at least 85%.
2. Electronics should operate at 12 V and should have temperature compensation for proper charging of the battery throughout the year.
3. No Load current consumption should be less than 20 mA.
4. The PV module itself should be used to sense the ambient light level for switching ON and OFF the lamp.
5. The PCB containing the electronics should be capable of solder free installation and replacement.
6. Necessary lengths of wires/cables, switches suitable for DC use and fuses should be provided.

PV MODULE

1. Indigenously manufactured PV module should be used.
2. The PV module should have crystalline silicon solar cells.
3. The power output of the module(s) under STC should be a minimum of 40 Wp at a load voltage* of 16.4 ± 0.2 V.
4. Open circuit voltage* of the PV modules under STC should be at least 21.0 Volts.
5. The module efficiency should not be less than 12 %.
6. The terminal box on the module should have a provision for opening for replacing the cable, if required.
7. Identification and Traceability Each PV module used in any solar power project must use a RF identification tag. The following information must be mentioned in the RFID used on each module (This can be inside or outside the laminate, but must be able to withstand harsh environmental conditions.)
    1. Name of the Manufacturer of PV module
    2. Name of the manufacturer of Solar Cells.
    3. Month and year of the manufacture (separately for solar cells and module).
    4. Country of origin (separately for solar cells and module).

ELECTRONIC PROTECTIONS

1. Adequate protection is to be incorporated under "No Load" conditions e.g. when the lamp is removed and the system is switched ON.
2. The system should have protection against battery overcharge and deep discharge conditions.
3. Fuse should be provided to protect against short circuit conditions.
4. Protection for reverse flow of current through the PV module(s) should be provided.
5. Electronics should have temperature compensation for proper charging of the battery throughout the year.
6. Adequate protection should be provided against battery reverse polarity. vii. Load reconnect should be provided at 80% of the battery capacity status.

Schematic Drawing of Yatri Pratikshalaya (Sthayi Bus stop Shade) Model 2 With Two 16 Watt Solar LED Light

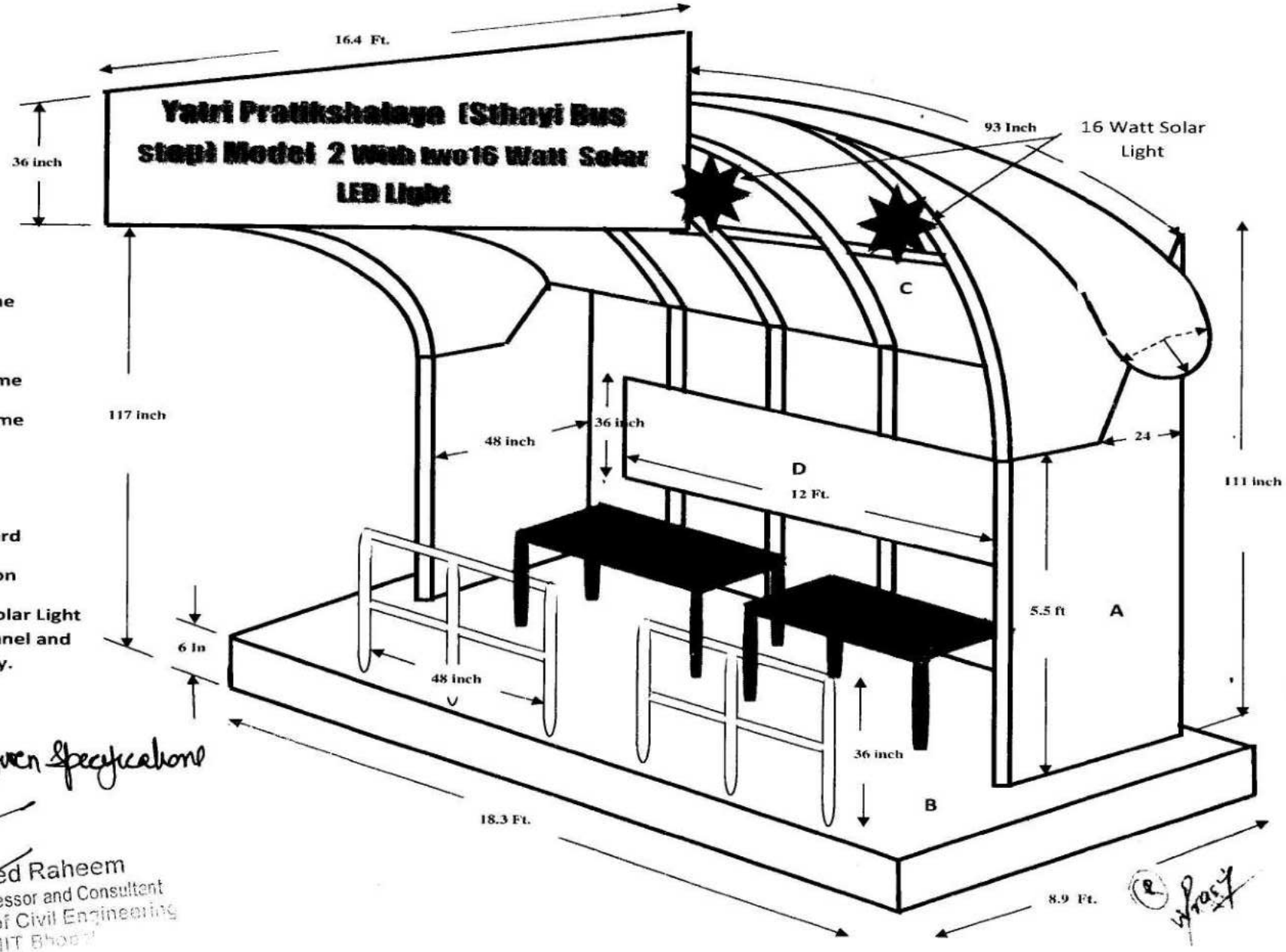

TERMS :--

A :-- Side Frame

B :-- Floor

C :-- Roof Frame

D :-- Back Frame

E :-- Chair

F :-- Railing

G :-- Front Board

H :-- Foundation

I : 16 Watt Solar Light with solar panel and battery.

Verified as per the given Specifications

Dr. Junaid Raheem
Assistant Professor and Consultant
Department of Civil Engineering
MANIT Bhopal

DETAIL SPECIFICATIONS OF YATRI PRATIKSHALAYA(STHAYI BUS STAND SHADE) MODEL 3 WITH TWO 16 WATT SOLAR LED LIGHT

S.	ITEM NAME	DETAIL DESCRIPTION	QTY
A	Structure of Side frame and Panels	1. Structure of Frame 150 x1 50 x 1.6 mm square hollow MS. Pipe. 2. 1.0 mm thick Colour Coated Aluminum Composite Panel Sheet/GP Sheet fixed with horizontal support of hollow square pipe 50 x 50 mm as shown in the Drawing attached	2 NOS.
B	Structure of Back Frame and Panels	1. Structure of Frame 50x50x3mm.square hollow M.S.PIPE 2. 1.0mm thick Colour Coated Aluminum Composite Panel Sheetor 1.0 mm GP Sheet Panel fixed with horizontal support of hollow square pipe 50 x 50 x2 mm as shown in the Drawing a.tached.	1 NO.
C	Structure of Root Frame and sheets	1. Structure Frame of 50 x 50 x 1.6 mm square hollow M.S. Pipe. And 25 x 25 x 1 mm hollow square pipe in combination as a purlins. 2. Colour coated profile corrugated sheet having thickness 0.5 mm shall have with structural frame in size by J hooks and bitumen washers as shown in the Drawing Attached.	1 NO.
D	Seating Arrangement	1. Seating arrangement for bus stop shade shall be made of 1.0mm. M.S hollow square pipe having 50 x 25mm. with combination of 25 x 25mm. square hollow pipe throughout the width of the structure as shown in the drawing attached.	2 NOS.
E	Structure for Railing	1. G.I Railing shall be made of round G.I Pipe 40 mm diameter as per shown in the drawing attached	2 NOS
F	Dasplay Board	1. Front sign board shall be made of main frame by hollow Rectangular tube 25 x 25 x 1 mm square pipe, Display Board shall be made of 1.0 mm thick M.S pressed steel sheet, sides of the frame should be flanged to give strength on the corners, in size as shown in the Drawing attached.	1 NO.
G	Foundation of Structure	1. Main structure i.e Side frame shall be fixed with Column footing / foundation bolts having at least 10 mm Anchor bolt as per standard practice. The foundation shall be properly designed as per the strata of the location and standard codes.	4 NOS.
H	Floor	1. Excavation up to 2 ft then proper dressing & compaction of the floor by hard moorum(15 x 20)ft. 2. Floor of the structure shall be made of 203 mm brick lining masonry or fixed permanent shuttering on the all side of the structure filled with lean base of concrete followed by concrete pavers/vitrified tiles or solid concrete base as per 1:3:6 cc m20 grade floor as per consignee instructions.	160 SQ.FT.
I	Structure	1. The structure shall be properly designed as per prevailing code of Practice before installation at particular location.	
J	Solar light 2 No. (Auto Cut Off)	1. Providing and fixing of 2 No. White-Led (W-Led) based Solar street lighting system 16 Watt. 2. Light Output White colour (Colour temperature 55000-65000 k) minimum 15 LUX when measured at the periphery of 4 meter diameter. 3. PV Module 40 Wp under STC. measured at 16.4 V at load module Voc minimum of 21 V. 4. Battery 12 V-40 AH@ C/10 Max DoD 75% Tubular or lithium . As per consignee instructions	

Dr. Juned Raheem
Assistant Professor and Consultant
Department of Civil Engineering
MANIT, Bhopal

SPECIFICATIONS OF 16 WATT SOLAR LIGHT FOR MODEL 3

White Light Emitting Diode (W-LED) is a solid state device which emits light when forward electric current passes through it. A LED based solar street lighting system consists of a PV Module, control electronics, battery, and W-LED based Luminaries, all suitably mounted on a Pole. The battery is charged by electricity generated through the PV module during day time and the luminary provides light from dusk to dawn.

Light Source	White Light Emitting Diode (W-LED) LED
Light Out put	White colour (colour temperature 55000 -65000 K) minimum 15 LUX when measured at the periphery of 4 meter diameter from a height of 4 meter. The illumination should be uniform without dark bands or abrupt variations, and soothing to the eye. Higher light output will be preferred.
Mounting of light	2 to 4 meter mounted
PV Module	40 Wp under STC, measured at 16.4 V at load. Module of minimum of 21V- (For 16W Model)
Battery	12 V- 40 AH @ C/10, Max DoD 75%. Tubular OR 12 V- 40 AH @ C/10, Max DoD 75%. Tubular Lead Acid Floated (For 16W Model) 12 V- 60 AH @ C/10, Max DoD 75%. Tubular OR 12 V- 60 AH @ C/10, Max DoD 75%. Tubular Lead Acid Floated
Electronics Efficiency	Min 85% total
Duty Cycle	Dusk to dawn
Autonomy	3 days or Minimum 42 operating hours per permissible discharge

OTHER DETAILS

DUTY CYCLE

The W-LED solar street lighting system should be designed to operate from dusk to dawn, under average daily insolation of 5.5 kWh /sq.m. on a horizontal surface.

LIGHT SOURCE

1. The light source will be a white LED type.
2. The colour temperature of white LED used in the system should be in the range of 55000 K–65000
3. W-LEDs should not emit ultraviolet light. K.
4. The light output from the white LED light source should be constant throughout the duty cycle.
5. The lamps should be housed in an assembly suitable for outdoor use.
6. The temperature of heat sink should not increase more than 20oC above ambient temperature during the dusk to dawn operation.

BATTERY

1. 12V, 45Ah and 12V, 60Ah lead Acid, Tubular Positive Plate flooded electrolyte.
2. The battery will have a minimum rating of 12V, 45Ah and 12V 60Ah at C/10 discharge rate.
3. 75 % of the rated capacity of the battery should be between fully charged and load cut off conditions.
4. Battery should conform to the standard make.

ELECTRONICS

1. The total electronic efficiency should be at least 85%.
2. Electronics should operate at 12 V and should have temperature compensation for proper charging of the battery throughout the year.
3. No Load current consumption should be less than 20 mA.
4. The PV module itself should be used to sense the ambient light level for switching ON and OFF the lamp.
5. The PCB containing the electronics should be capable of solder free installation and replacement.
6. Necessary lengths of wires/cables, switches suitable for DC use and fuses should be provided.

PV MODULE

1. Indigenously manufactured PV module should be used.
2. The PV module should have crystalline silicon solar cells.
3. The power output of the module(s) under STC should be a minimum of 40 Wp at a load voltage* of 16.4 ± 0.2 V.
4. Open circuit voltage* of the PV modules under STC should be at least 21.0 Volts.
5. The module efficiency should not be less than 12 %.
6. The terminal box on the module should have a provision for opening for replacing the cable, if required.
7. Identification and Traceability Each PV module used in any solar power project must use a RF identification tag. The following information must be mentioned in the RFID used on each module (This can be inside or outside the laminate, but must be able to withstand harsh environmental conditions.)
    1. Name of the Manufacturer of PV module
    2. Name of the manufacturer of Solar Cells.
    3. Month and year of the manufacture (separately for solar cells and module).
    4. Country of origin (separately for solar cells and module).

ELECTRONIC PROTECTIONS

1. Adequate protection is to be incorporated under "No Load" conditions e.g. when the lamp is removed and the system is switched ON.
2. The system should have protection against battery overcharge and deep discharge conditions.
3. Fuse should be provided to protect against short circuit conditions.
4. Protection for reverse flow of current through the PV module(s) should be provided.
5. Electronics should have temperature compensation for proper charging of the battery throughout the year.
6. Adequate protection should be provided against battery reverse polarity. vii. Load reconnect should be provided at 80% of the battery
7. capacity status.

SCHEMATIC DIAGRAM OF YATRI PRATIKSHALAYA (STHAYI BUS STANDE) MODEL 3 WITH TWO 16 WATT SOLAR LED LIGHT

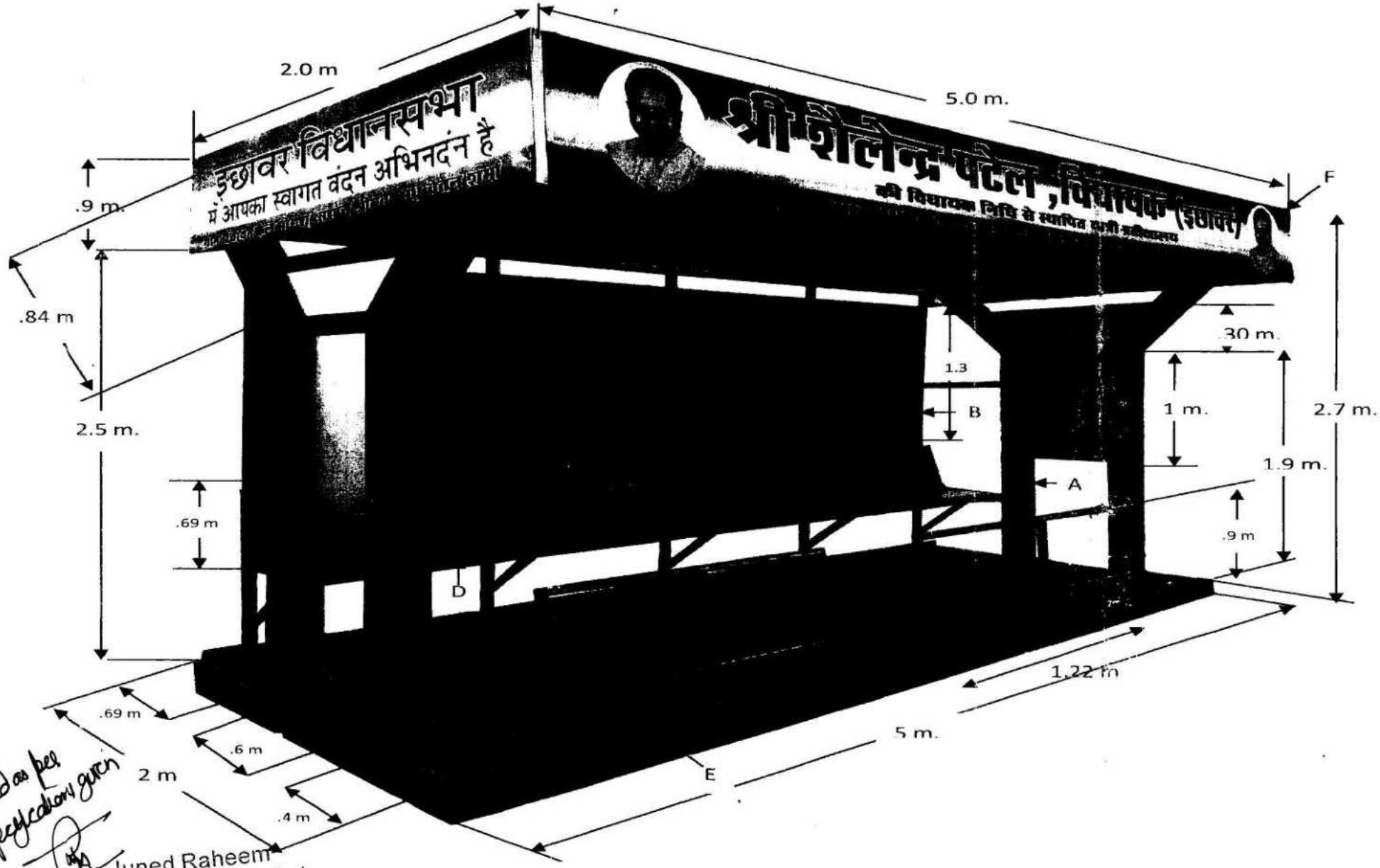

Fixed as per the specification given

Dr. Juned Raheem
Assistant Professor and Consultant
Department of Civil Engineering

Detailed Specifications of Yatri Pratik-shalaya (Sthayi Bus Stop Shade) Model 4 With 16 W Solar LED Light

1. **Side Frame** – Side frame shall be made of (75 mm dia 3mm thick) round hollow section curved at 50 degree by pipe rolling machine and 1.25mm M.S. sheet with two coal colour enamel painting fixed by press moulding, welding or riveting on the both side of the frame as per standard practice size as shown in the drawing attached 4x4 feel free space available for Information & communication of Govt. schemes with the help of flex/painting as per consignee instructions.
2. **Covering Sheet**- Covering Sheet shall be made up of M.S. sheet of 01 mm thickness around 4 sides of shade, size of panel shall be of 200x50 & moulding by hydraulic press.
3. **Floor:** - Floor of the shelter shall be made of of 8 inches Brick lining masonry filled with lean base of concrete followed by pavers or concrete base as per consignee instructions.
4. **Roof Frame**:-Roof frame shall be made up of 50x25x1 mm square M.S. pipe section followed by 0.5mm G.1. profile sheet powered coated fitted for roof at 40degree bending by hydraulic press.
5. **Back Frame**:-Back frame shall be made up of 25x25x1 mm 1.25 mm M.S. sheet fixed & fastened by moulding & welding into back frame supporting pipe of 75x3 mm round pipe. There is 36 Square feet free space available for Information & communication of Govt. Schemes with the help of Flex/painting as per consignee instructions.
6. **Chair**:-Sitting arrangement of at least 8 people should be made. Chairs with back rest of stainless steel mounting, grounding & fixing over the S.S. frame as shown in drawing.
7. **Front Railing**:-Two nos, of stainless steel front railing (outer pipe 50 mm dia in combination: with 30 mm dia inner pipes) shall be there to restrict entrance of stray animals inside shade. Size of each front railing shall be1800 mm in length & 900 mm above the ground. Open Space of 1200 mm between railings should be provided to enter in shade.
8. **Side Railing**:-Two nos of stainless steel side railing (outer pipe 50 mm dia in combination with 30 mm dia inner pipes) shall be there to restrict entrance of stray animals inside shade. Size of each side railing shall be 900 mm in length & 900 mm above the ground.
9. **Front Sign Board**:-Front sign Board shall be made of frame 50 x 25 x 1 mm. M.S. pipe & 1.25 mm M.S. sheet fitted & fixed by welding or riveting. Board shall be of 12 x 2 feet for Information & communication of Govt. schemes.
10. **Lighting Arrangement**:-Shelter should have proper lighting arrangement by Solar lamp of light output (16 watt with minimum lumen of 90 lumen/watt. Lithium ion battery capacity should be of 3.6 volt/8amp & solar panel should be of 10 Wp.
11. **Structure**:-The structure shall be properly designed as per prevailing code of practice before installation at particular location.
12. **Foundation:**-The foundation shall be properly designed as per strata of the location and standard codes.

Dr. Tuned Raheem
Assistant Professor and Consultant
Department of Civil Engineering
MANIT Bhopal

SPECIFICATIONS OF 16 WATT SOLAR LIGHT FOR MODEL 4

White Light Emitting Diode (W-LED) is a solid state device which emits light when forward electric current passes through it. A LED based solar street lighting system consists of a PV Module, control electronics, battery, and W-LED based Luminaries, all suitably mounted on a Pole. The battery is charged by electricity generated through the PV module during day time and the luminary provides light from dusk to dawn.

Light Source	White Light Emitting Diode (W-LED) LED
Light Out put	White colour (colour temperature 55000 -65000 K) minimum 15 LUX when measured at the periphery of 4 meter diameter from a height of 4 meter. The illumination should be uniform without dark bands or abrupt variations, and soothing to the eye. Higher light output will be preferred.
Mounting of light	2 to 4 meter mounted
PV Module	40 Wp under STC, measured at 16.4 V at load. Module of minimum of 21V- (For 16W Model)
Battery	12 V- 40 AH @ C/10, Max DoD 75%. Tubular OR 12 V- 40 AH @ C/10, Max DoD 75%. Tubular Lead Acid Floated (For 16W Model) 12 V- 60 AH @ C/10, Max DoD 75%. Tubular OR 12 V- 60 AH @ C/10, Max DoD 75%. Tubular Lead Acid Floated
Electronics Efficiency	Min 85% total
Duty Cycle	Dusk to dawn
Autonomy	3 days or Minimum 42 operating hours per permissible discharge

OTHER DETAILS

DUTY CYCLE

The W-LED solar street lighting system should be designed to operate from dusk to dawn, under average daily insolation of 5.5 kWh /sq.m. on a horizontal surface.

LIGHT SOURCE

7. The light source will be a white LED type.
8. The colour temperature of white LED used in the system should be in the range of 55000 K–65000
9. W-LEDs should not emit ultraviolet light. K.
10. The light output from the white LED light source should be constant throughout the duty cycle.
11. The lamps should be housed in an assembly suitable for outdoor use.
12. The temperature of heat sink should not increase more than 20oC above ambient temperature during the dusk to dawn operation.

BATTERY

5. 12V, 45Ah and 12V, 60Ah lead Acid, Tubular Positive Plate flooded electrolyte.
6. The battery will have a minimum rating of 12V, 45Ah and 12V 60Ah at C/10 discharge rate.
7. 75 % of the rated capacity of the battery should be between fully charged and load cut off conditions.
8. Battery should conform to the standard make.

MODEL 4

ELECTRONICS

7. The total electronic efficiency should be at least 85%.
8. Electronics should operate at 12 V and should have temperature compensation for proper charging of the battery throughout the year.
9. No Load current consumption should be less than 20 mA.
10. The PV module itself should be used to sense the ambient light level for switching ON and OFF the lamp.
11. The PCB containing the electronics should be capable of solder free installation and replacement.
12. Necessary lengths of wires/cables, switches suitable for DC use and fuses should be provided.
13.

PV MODULE

8. Indigenously manufactured PV module should be used.
9. The PV module should have crystalline silicon solar cells.
10. The power output of the module(s) under STC should be a minimum of 40 Wp at a load voltage* of 16.4 ± 0.2 V.
11. Open circuit voltage* of the PV modules under STC should be at least 21.0 Volts.
12. The module efficiency should not be less than 12 %.
13. The terminal box on the module should have a provision for opening for replacing the cable, if required.
14. Identification and Traceability Each PV module used in any solar power project must use a RF identification tag. The following information must be mentioned in the RFID used on each module (This can be inside or outside the laminate, but must be able to withstand harsh environmental conditions.)
    5. Name of the Manufacturer of PV module
    6. Name of the manufacturer of Solar Cells.
    7. Month and year of the manufacture (separately for solar cells and module).
    8. Country of origin (separately for solar cells and module).

ELECTRONIC PROTECTIONS

8. Adequate protection is to be incorporated under "No Load" conditions e.g. when the lamp is removed and the system is switched ON.
9. The system should have protection against battery overcharge and deep discharge conditions.
10. Fuse should be provided to protect against short circuit conditions.
11. Protection for reverse flow of current through the PV module(s) should be provided.
12. Electronics should have temperature compensation for proper charging of the battery throughout the year.
13. Adequate protection should be provided against battery reverse polarity. vii. Load reconnect should be provided at 80% of the battery capacity status.

SCHEMATIC DIAGRAM OF YATRI PRATIKSHALAYA (STHAYI BUS STANDE) MODEL 4 WITH 16 WATT SOLAR LED LIGHT

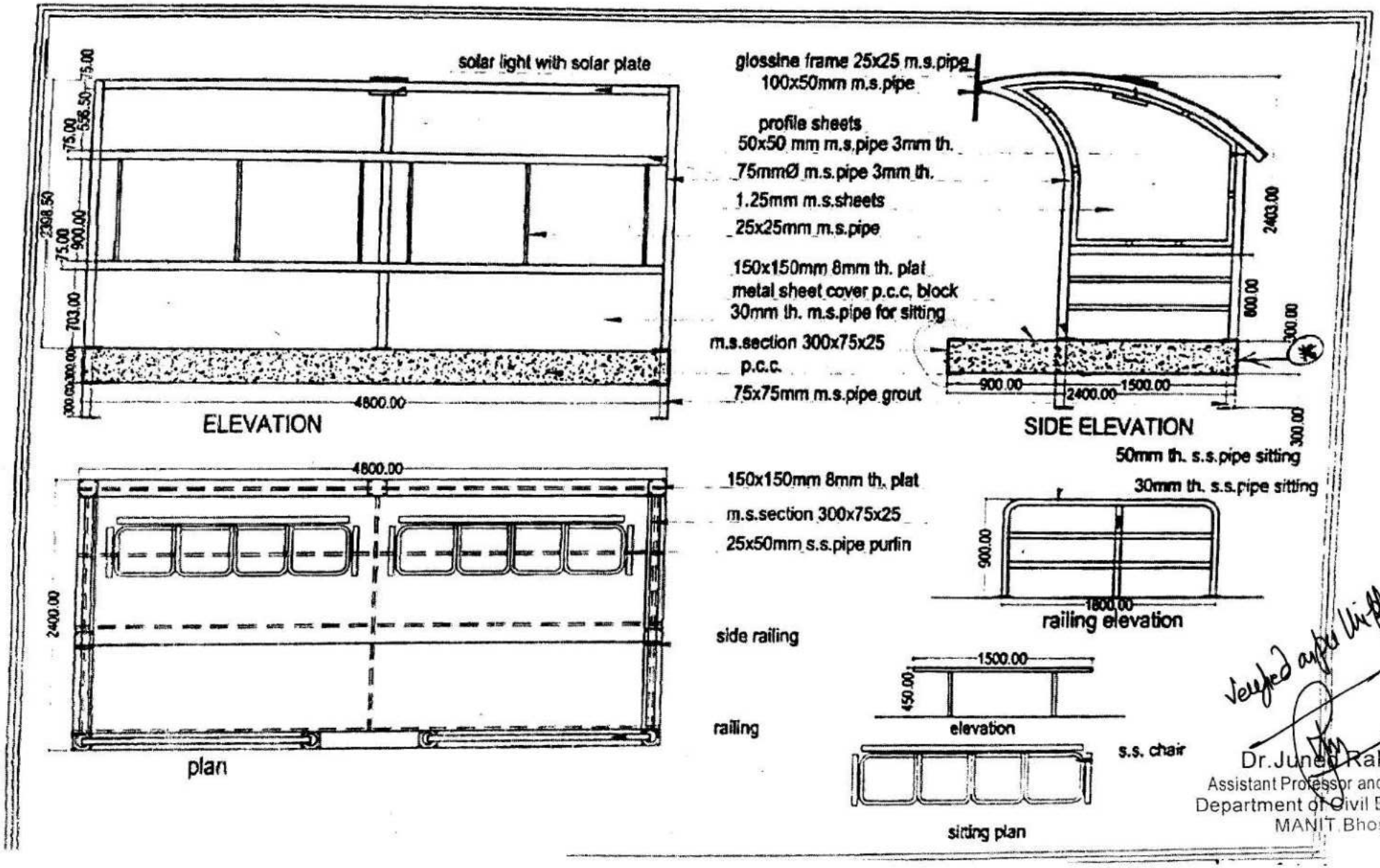

Verified after Modification

Dr. Junaid Raheem
Assistant Professor and Consultant
Department of Civil Engineering
MANIT Bhopal

34C

45

PHOTOGRAPH OF YATRI PRATIKSHALAYA (STHAYI BUS STANDE) MODEL 4 WITH 16 WATT SOLAR LED LIGHT

Detailed Specifications of Sthayi Bus stop Mode-5

1. Vertical column shall be made of 150 mm. square perforated pipe 3mm. thickness.
2. Structure of Frame :- 50 x 50 x 2 mm. square hollow M.S. Pipe.
3. 3.0 mm. thick Colour Coated Aluminum Composite Panel Sheet fixed with horizontal support of hollow square pipe 50 x 50 mm. as shown in the Drawing.
4. Structure of Frame :- 50 x 50 square hollow M.S. Pipe. And 25 x 25 mm. hollow square pipe in combination as a purlins.
5. M.S. sheet having thickness 0.5 mm. shall have with structural frame in size by welding or riveting as shown in the Drawing
6. Seating arrangement for bus stop shade shall be made of 1 mm. M.S. hollow square Pipe having 50 x 25 mm. with combination of 25 x 25 mm. square hollow pipe throughout the width of the structure. as shown in the Drawing.
7. M.S. Railing shall be made of round M.S. Pipe 40 mm. diameter as per shown in the drawing.
8. Display Board shall be made of 1 mm. thick M.S. pressed steel sheet, sides of the frame should be flanged to give strength on the corners, in size as shown in the Drawing.
9. Main structure i.e. Side frame shall be fixed with Column footing / foundation bolts having at least 102mm. Anchor bolt as per standard practice.
10. Excavation up to 2 ft then proper dressing & compaction of the floor by hard moorum (15 x 10 ft.).
11. Floor of the structure shall ne made of 203 mm. brick lining masonry or fixed permanent shuttering on the all side of the structure filled with lean base of concrete followed by concrete pavers / Vitrified tiles or solid concrete base as per 1:3:6 Cc M20 grade floor as per consignee instructions.
12. The structure shall be, properly designed as per prevailing code of Practice before installation of Location.
13. The foundation shall be properly designed as per strata of the location and standard codes.

Dr.Junid Raheem
Assistant Professor and Consultant
Department of Civil Engineering
MANIT Bhopal

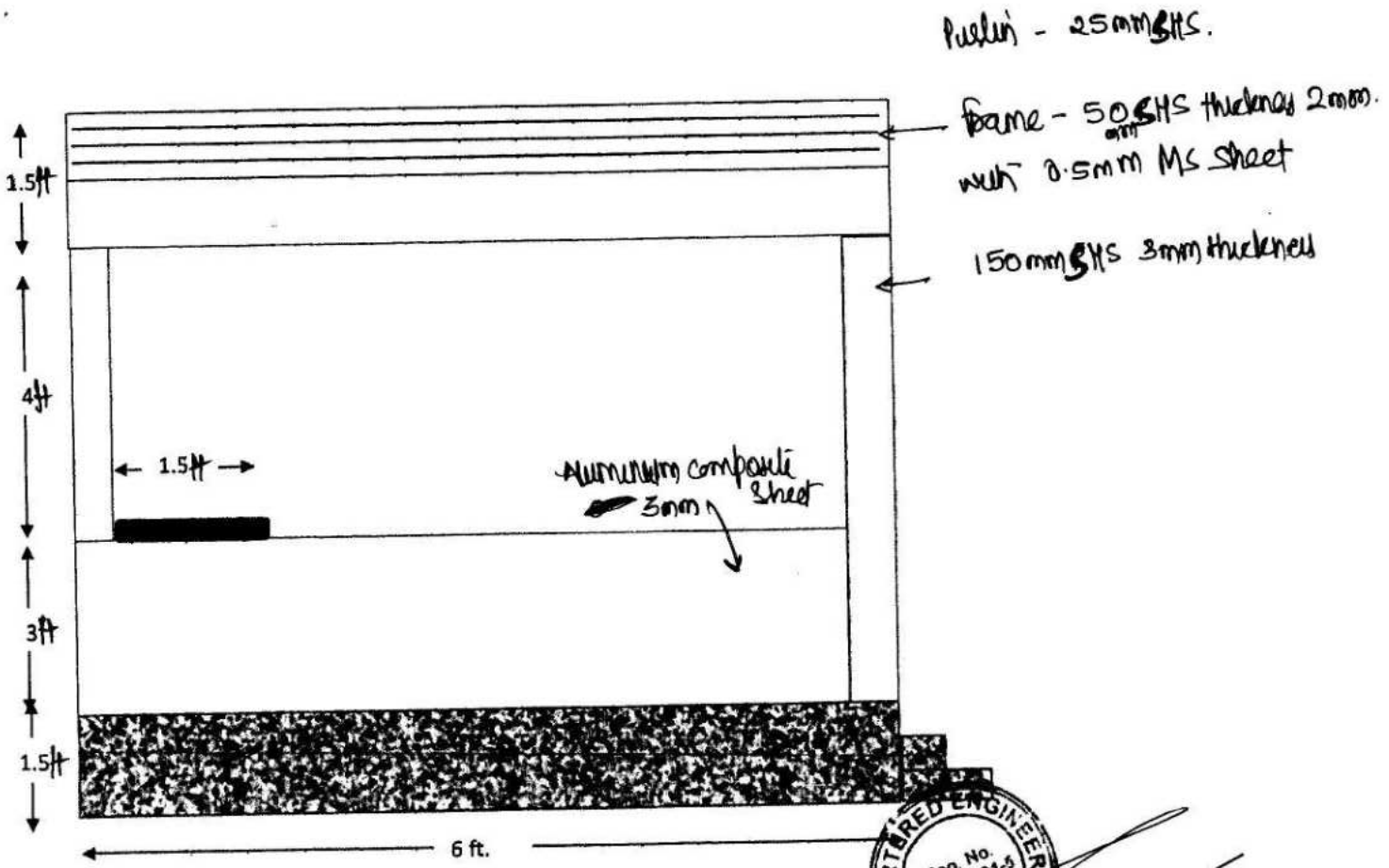

Side View

CHARTERED ENGINEER
Reg. No. AM107201-5
INDORE

Dr. Juned Raheem
Assistant Professor and Consultant
Department of Civil Engineering
MANIT, Bhopal

Drawing & Design of Bus stop Model 5

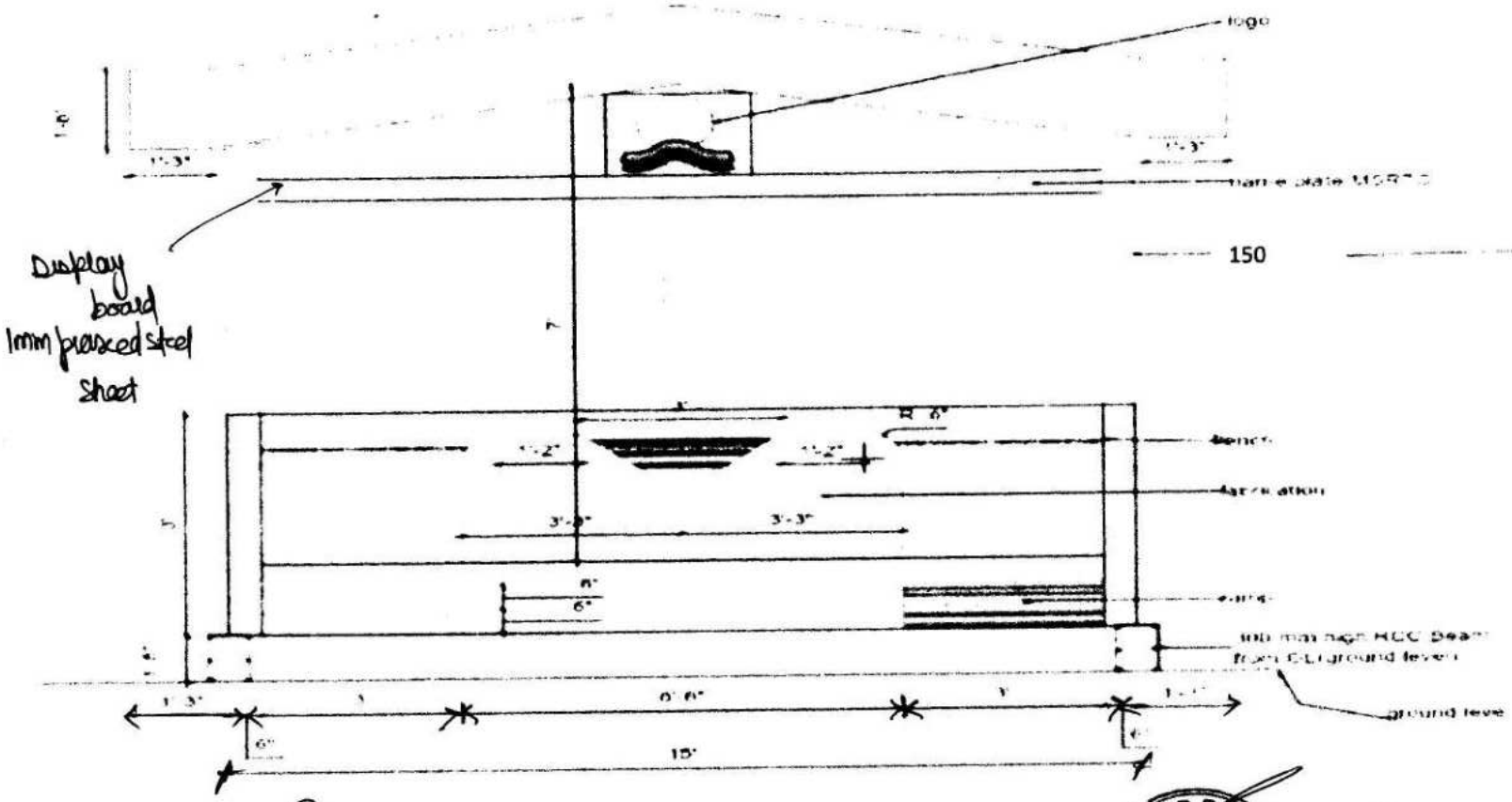

Front View

Dr.Juned Raheem
Assistant Professor and Consultant
Department of Civil Engineering
MANIT,Bhopal

CHARTERED ENGINEER
Reg. No. AM107201-5
INDORE

Photographs of Bus stop Model 5

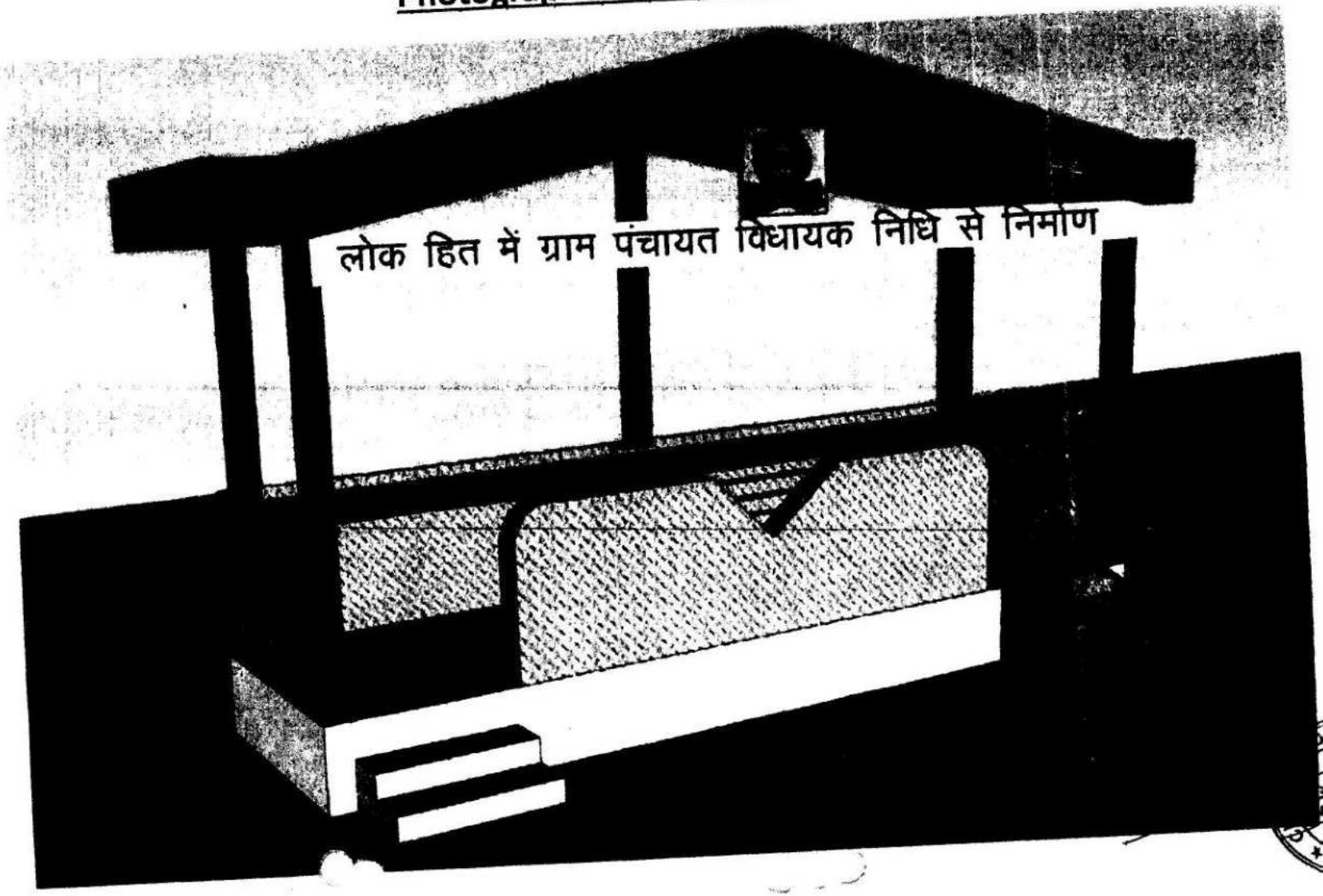

Specifications of Sthayi Type Bus Stop Model-6

S	Work	Description	Qty
1	**Surface Dressing**	Description Surface dressing for precast structure Size 7 m x 3.2 m up to 50 c. m. deep. (Surface dressing of the ground including removing vegetation and in equalities not exceeding 15 cm deep and disposal of rubbish, lead up to 50 m and lift up to 1.5 m. in all kinds of soil.)	22.4 Sq. m.
2	**Moorum Filling**	Hard moorum and Hard Copra filling on the dressing area up to 50 c. m. hight: 7 x 3.2 x 5 m (With hard moorum having CBR >12 % at under floors including watering, ramming and compacting (minimum compaction 95% of MDD) in layers not exceeding 20cm in thickness and dressing complete. (Note: maximum thickness of this layer to be provided shall be 30cm)	11.2 cu. m.
3	**P.C.C. C.C. up to plinth level**	Plain cement concrete shall be done on the moorum filled area 7 x 3.2 x 100 Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centring and shuttering - All work up to plinth level:	2.24 cu. m.
	Cantering & Shuttering	Cantering and shuttering including strutting, propping etc. and removal of form for drawing as shown in drawing.	35 sq. m.
4	**R.C.C**	M 15 Concrete for the structure as shown in drawing 1.1 Cu. m. for each section, Total section 3 (Reinforced cement concrete work (with 20 mm nominal size graded stone aggregate)in beams, suspended floors, roofs having slope of any degree landings, balconies, shelves, chajjas, lintels, bands, plain window sills, staircases and spiral stair cases above plinth level and up to floor two level excluding the cost of centring, shuttering, finishing and reinforcement in concrete grade.)	3.3 cu. m.
5	**Reinforcement for R.C.C**	Reinforcement of 12 mm. TMT bar 150 mm, spacing through out the structure and 4 No. 12 mm. TMT bar extra as a lintel beam.	960 kg.
6	**Foundation**	The foundation shall be properly designed as per strata of the location and standard codes.	
7	**Structure**	The structure shall be, properly designed as per prevailing code of Practice before installation of Location.	
8	**Join by studs**	8 No. of steel studs having 16 mm. diameter is used to join all three pieces as shown in drawing.	70 sq. m.
9	**Paint**	Two code enamel / Plastic paint over whole concrete structure.	35 sq. m.

Note:- 1. Curing shall be properly done at least 14 days as per IS 456.
2. Shuttering for cement casting shall be open after 7 days as per standard practice.

Dr.Juned Raheem
Assistant Professor and Consultant
Department of Civil Engineering
MANIT,Bhopal

Pre Cast Bus stand Model 6

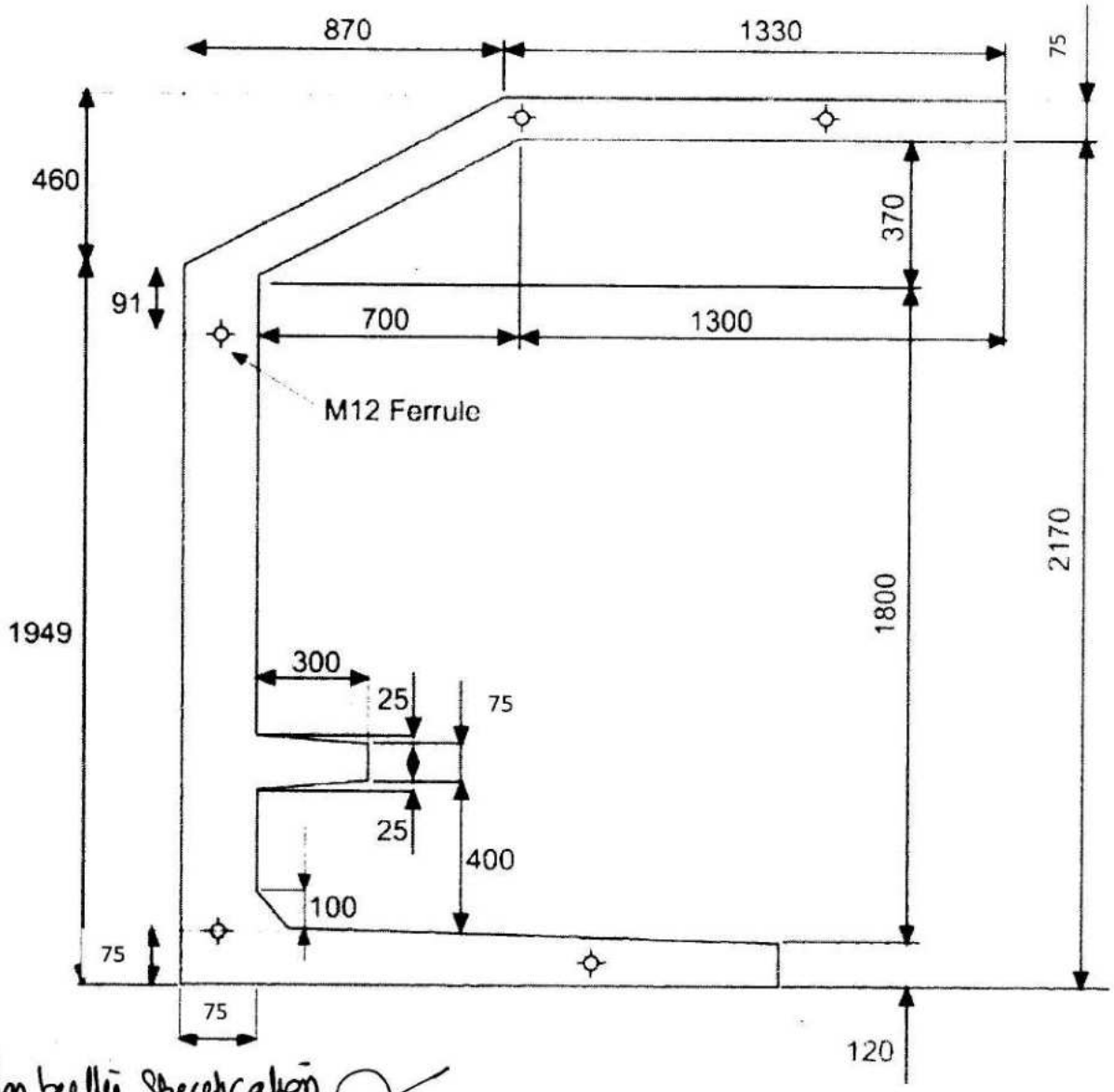

Verified as per the Specification

...ned Raheem
...Consultant
...ineering

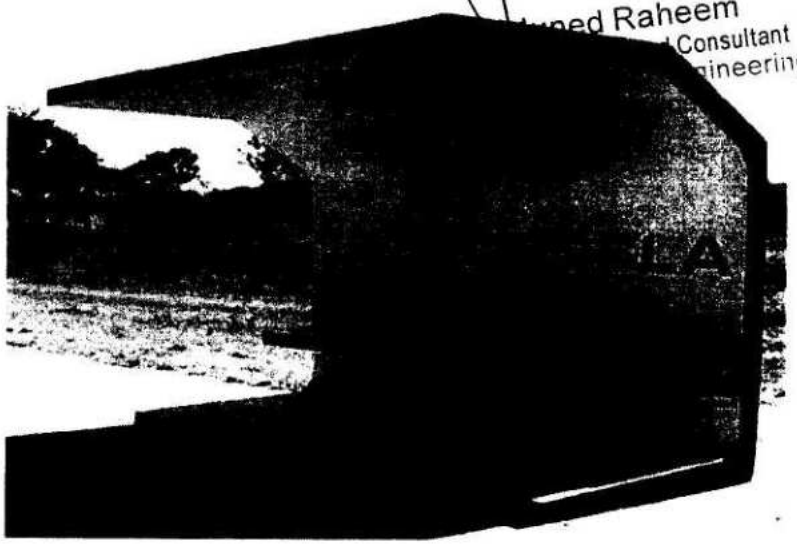

Specifications :--

All casting shall be done with Cement , sand, and Metal Mixture as per standard Practice .

Casting shall be cured at least 7 days.

Proper reinforcement shall be their for strength.

Two coat colour with primer shall be done.

Model- 1

Simply Supported Type Swagat Dwar Without Solar LED Light

A. Sign Board with frame and bottom mounting plate

1). Horizontal frame members 75 mm dia and 1.5mm thickness MS pipe
2). Cross frame members 25mm dia and 1.5 mm thickness MS pipe
3). Board 1 mm thikness MS sheet
4). 600mm x 600mm x 25mm Mounting MS Plates-2 Nos

B. Vertivcal column with top, bottom mounting plates & stiffner plates

1). 300mm dia and 4mm thickness pipe, 6175mm length
2). 600mm x 600mm x 25mm bottom Mounting MS Plate
3). 600mm x 600mm x 25mm top Mounting MS Plate
4). 25mm thick MS stiffner plates- 8 Nos

C. Column foundation

1). Ø25mm L- Shape MS bolts- 8 Nos

2). Ø10 mm Circular stirrups - 8 Nos

3). 762mm x 762mm x 1320mm concrete column
4). 1220mm x 1220 mm x 100mm Concrete slab
4). 1220mm x 1220 mm x 100mm Concrete base

foundation shall be designed as per the site condition of Sipala

Dr. Juned Raheem
Assistant Professor and Consultant
Department of Civil Engineering
MANIT, Bhopal

FOR THE SURVEYORS
BHOPAL

Simply Supported Type Swagat Dwar Without Solar LED Light

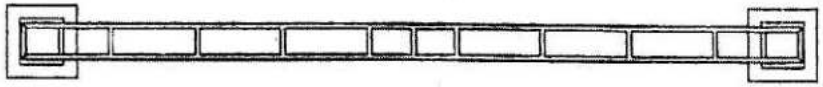

Top View

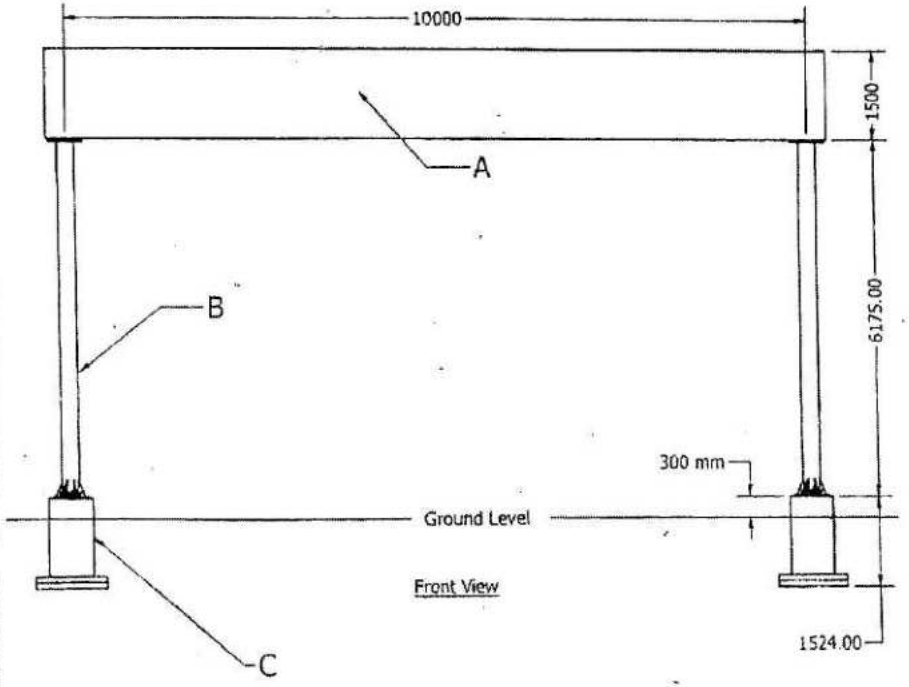

Front View

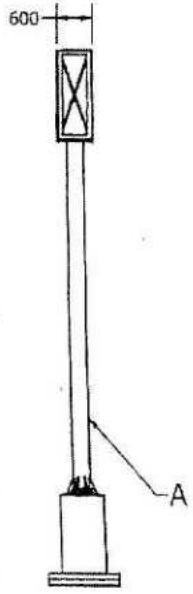

Side View

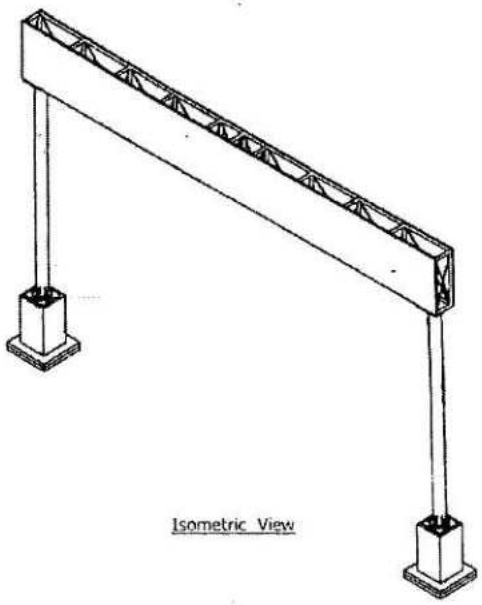

Isometric View

A: Sign Board with frame and bottom mounting plate
B: Vertivcal column with top, bottom mounting plates & stiffner plates
C: Column foundation

Dr.Juned Raheem
Assistant Professor and Consultant
Department of Civil Engineering
MANIT,Bhopal

RICHA SYSTEMS AND SOLUTIONS PVT. LTD. FOR THE SURVEYORS BHOPAL

Model-1

(331)

54

A

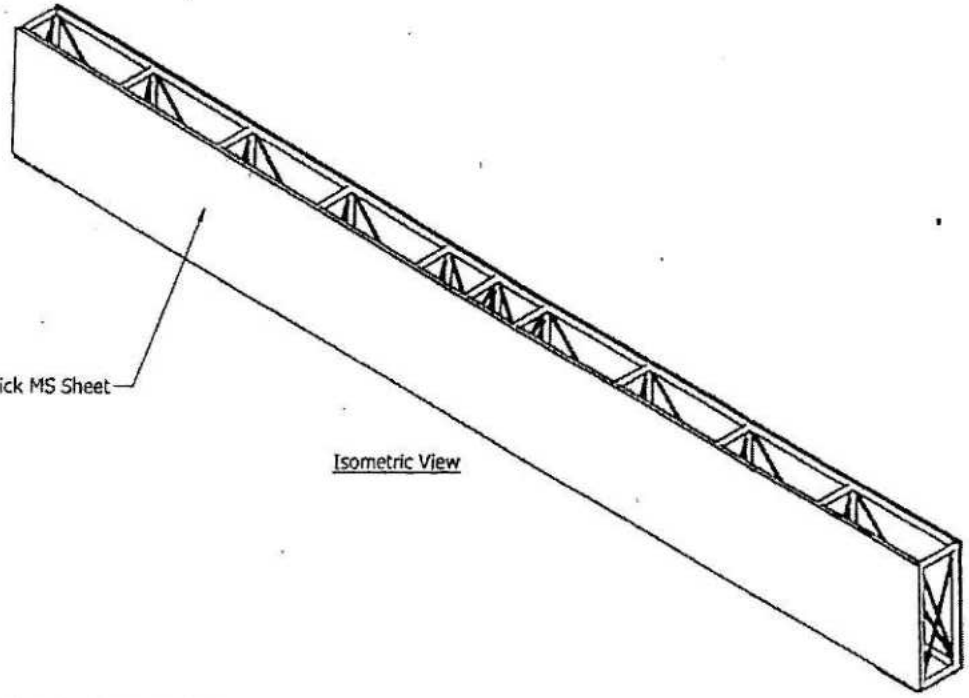

Isometric View

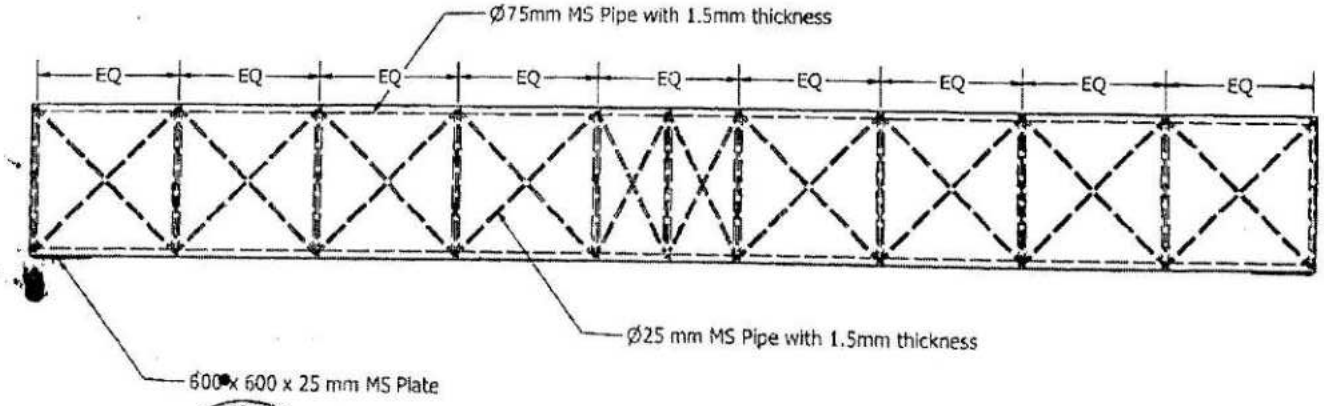

Front View

Verified

Dr. Juned Raheem
Assistant Professor and Consultant
Department of Civil Engineering
MANIT, Bhopal

PROCESS SYSTEMS AND SOLUTIONS PVT. LTD.
FOR THE SURVEYORS
BHOPAL

330

55

MODULE 1

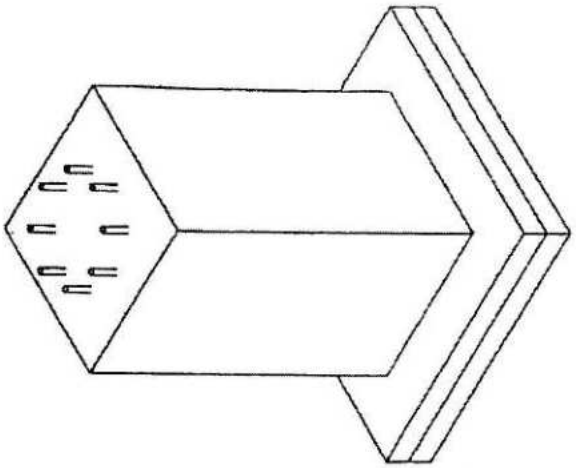

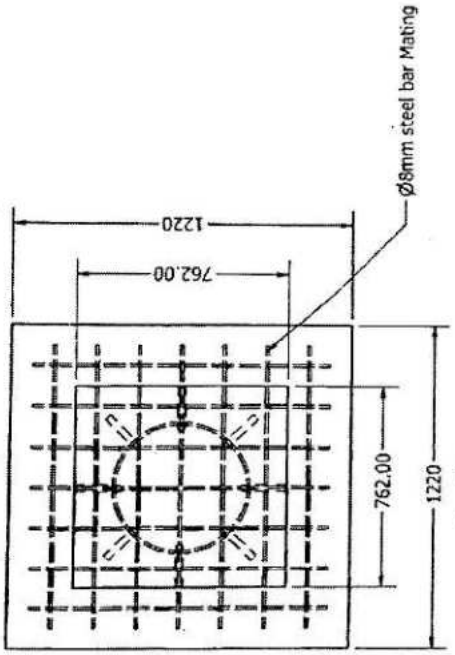

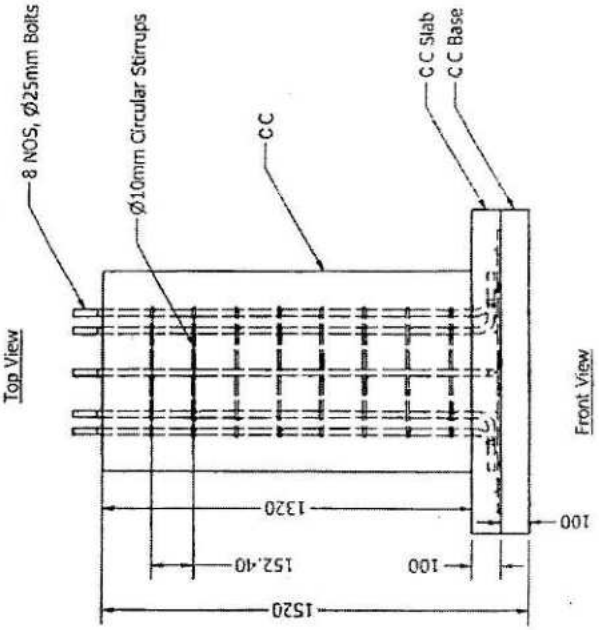

1. location of bolts need to be specified.
2. footing slab be properly designed as per the condition of soil at locations.

Dr. Junaid Raheem
Assistant Professor and Consultant
Department of Civil Engineering
MANIT, Bhopal

Model - 2

ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR

Technical Specification

A. Colum Foundation:-

- Ø20 mm L-Shape MS foundation Bolt, 8 Nos.
- Ø10 mm Circular stirrups, 8 Nos.
- 750mm×750mm×1000mm concrete Column
- 1200mm×1200mm×100mm concrete slab
- 1200mm×1200mm×100mm concrete base

B. Vertical Column with top, bottom, mounting plate & stiffener plate

- 600mm×600mm vertical column length 5196mm
- 50mm×50mm square M.S. vertical pipe, 4 nos.
- 35mm×35mm square M.S. supporting pipe as per design
- 25mm×25mm square M.S. truss cross pipe as per design
- 600mm×600mm×12mm top mounting M.S. plate
- 600mm×600mm×12mm bottom mounting M.S. plate
- 12mm thick stiffener plate, 8 nos.
- 136 square feet ACP sheet over the vertical columns front & rare side

C. ACP Sign Board with Frame & bottom mounting Plate

- Horizontal frame assembly 50mm×50mm of 2 mm thickness M.S. pipe
- Cross frame assembly 25mm×25mm of 2 mm thickness M.S. pipe
- 600mm×600mm×12mm mounting M.S. plate, 2 nos.
- 180 square feet ACP sheet fitted over the front & rare side of frame

Reviewed

Proper design of footing as per condition of strata on the basis of location need to be done

REVIEWED / ~~WITNESSED~~

FOR THE SURVEYORS
PROCLASS SYSTEMS & SOLUTIONS PVT. LTD.

FOR THE SURVEYORS
PROCLASS SYSTEMS & SOLUTIONS PVT. LTD. BHOPAL

Dr. Juned Raheem
Assistant Professor and Consultant
Department of Civil Engineering
MANIT, Bhopal

Model-2

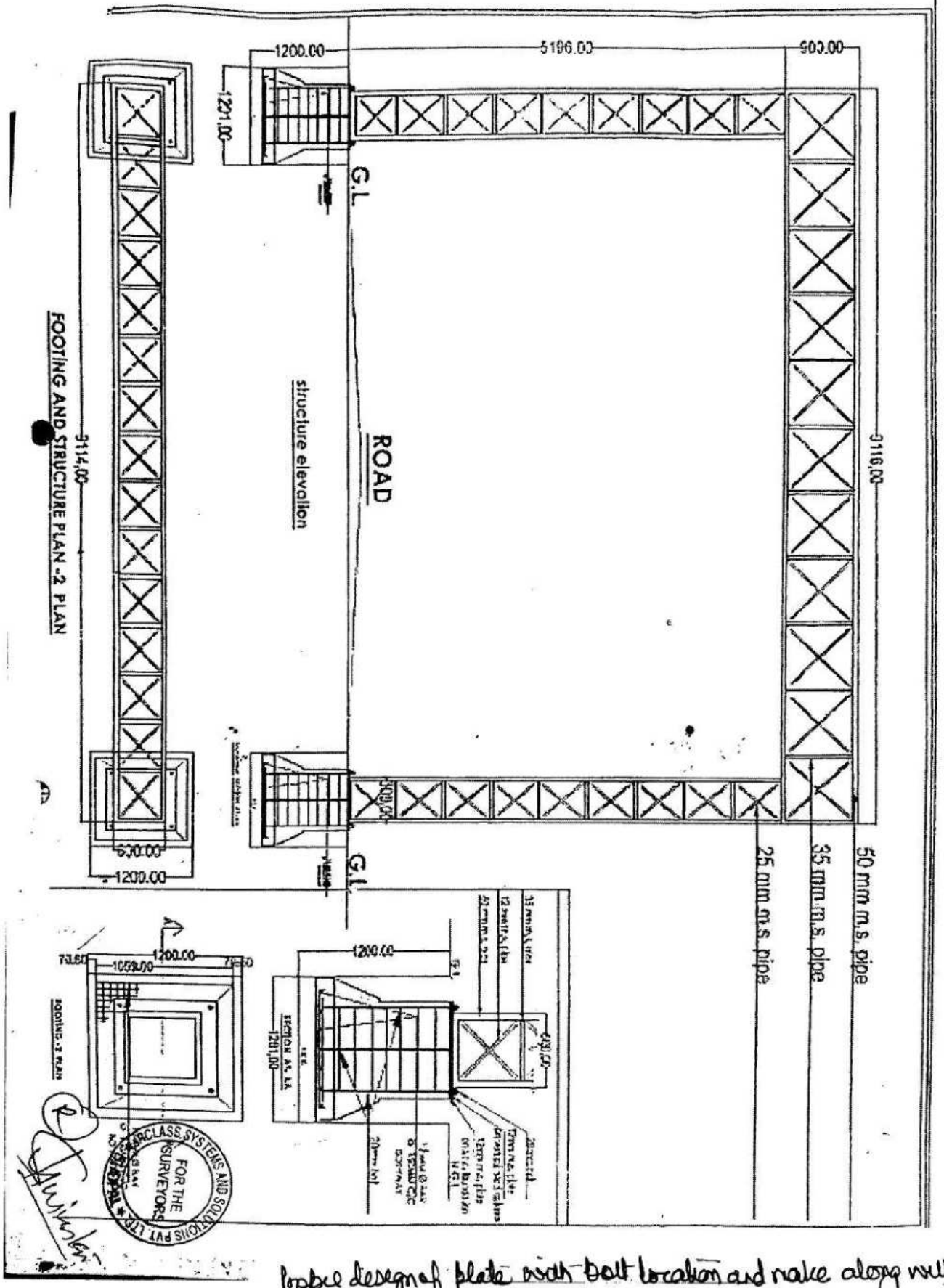

Prepare design of plate with bolt location and make along with the design of footing on the basis of condition of soil at the location shall be made.

Dr. Juned Raheem
Assistant Professor and Consultant
Department of Civil Engineering
MANIT Bhopal

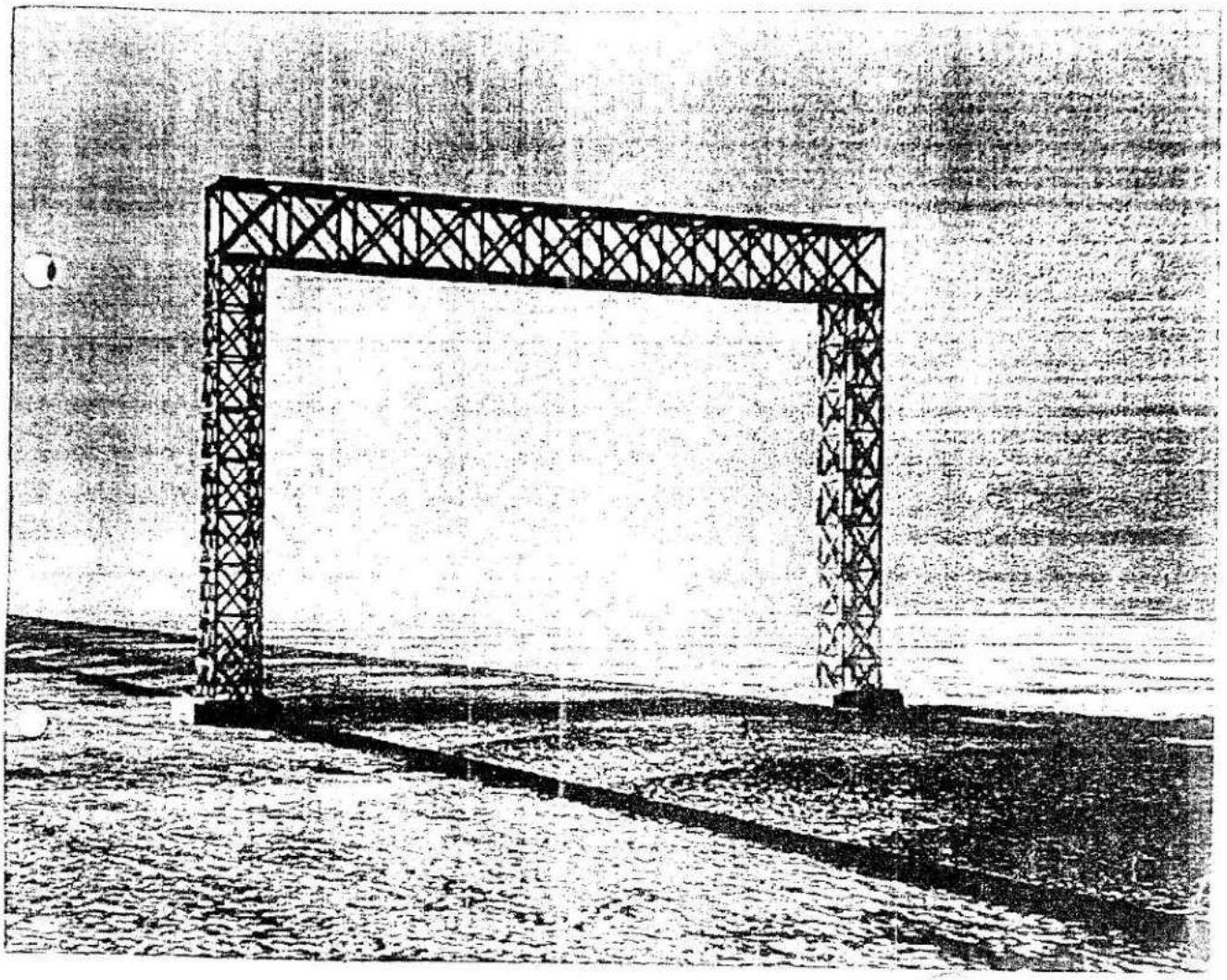

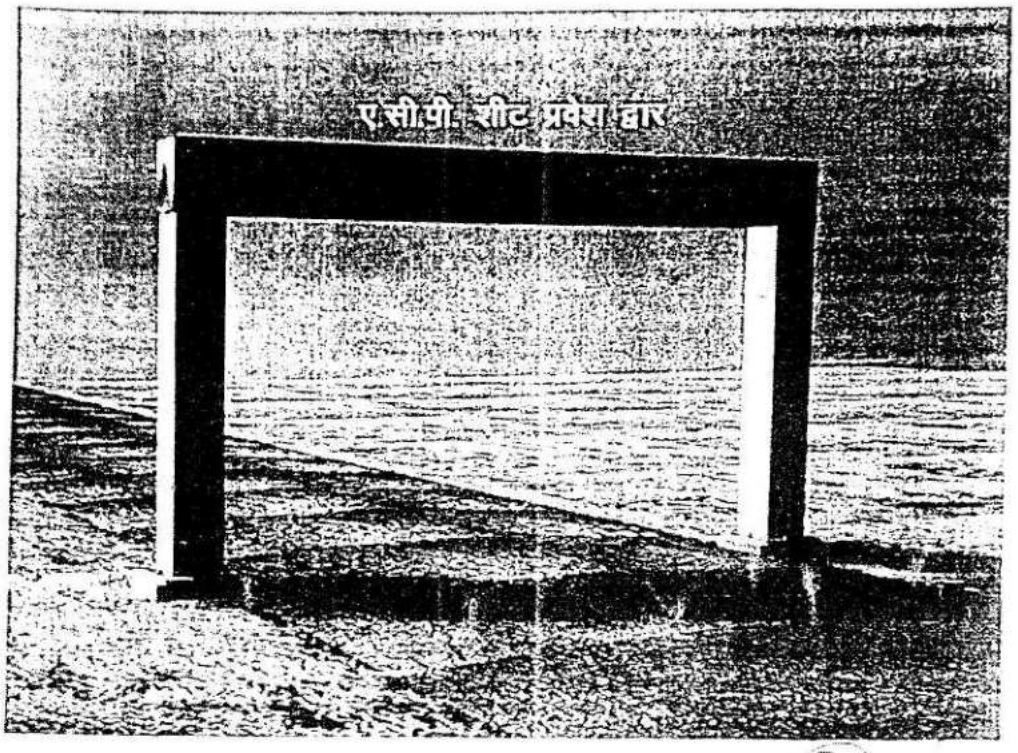
ए.सी.पी. सीट प्रवेश द्वार

(324)

mode-3

61

Simply Supported Type Swagat Dwar With Solar LED Light

A. Sign Board with frame and bottom mounting plate

1). Horizontal frame members 35mm X 35mm X 5mm Angle
2). Cross frame members 25 mm X 25 mm X 3mm Angle
3). Board [illegible] thickness MS sheet
4). 533 mm x 38 mm x 12mm Mounting MS Plates-2 Nos

B. Vertivcal column with top, bottom mounting plates & stiffner plates

1). 300mm dia and 3mm thickness pipe 6125mm length
2). 600mm x 500mm x 12mm bottom Mounting MS Plate
3). [illegible] x 300 mm x 12mm top Mounting MS Plate
4). 12mm thick MS stiffner plates 8 Nos

C. Column foundation

1). 6250 [illegible]
2). Ø 10 mm Circular [illegible] - 5 Nos
3). 760mm x 760mm x 1320mm [illegible]
4). 1320 mm x 1220 mm x 100mm Concrete slab
5). 1320mm x 1220 mm x 100mm Concrete base

Depth design of footing shall be as per the condition of strata of the location

Dr.Juned Raheem
Assistant Professor and Consultant
Department of Civil Engineering
MANIT Bhopal

A.D Abhyankar

A.D. ABHYANKAR
B.E. (Civil Engineer) M.I.E.
Chartred Engineer (Indore)
Regd. No. 8903

Scanned by CamScanner

Simply Supported Type Swagat Dwar With Solar LED Light

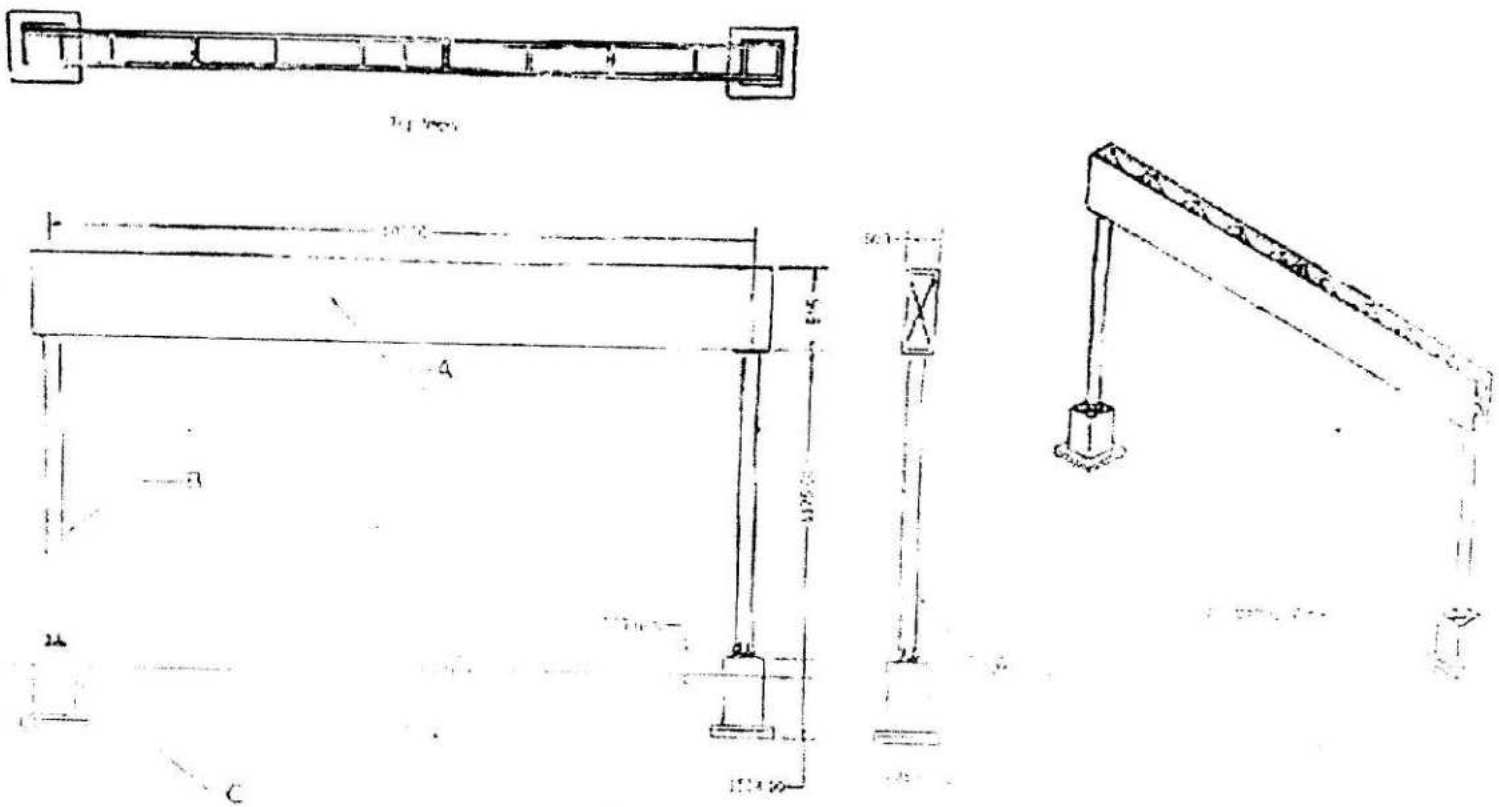

Dr.Junied Raheem
Assistant Professor and Consultant
Department of Civil Engineering
MANIT,Bhopal

A.D. ABHYANKAR
B.E. (Civil Engineer) M.I.E.
Chartred Engineer (Indore)
Regd. No. 8903

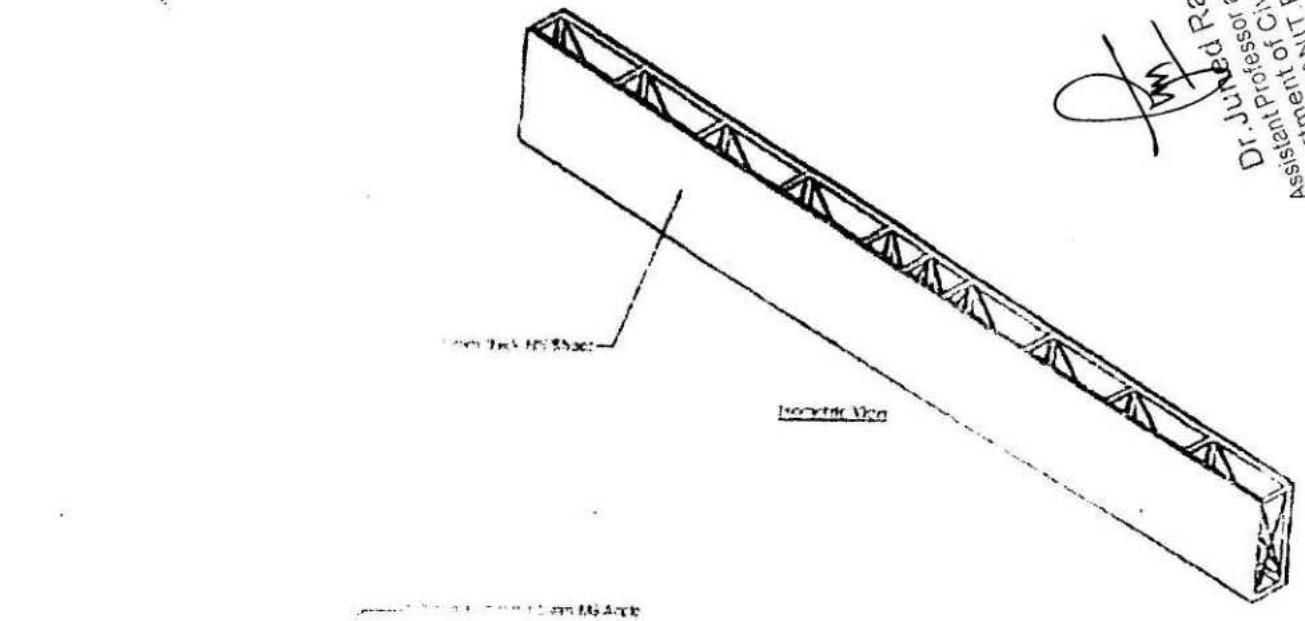

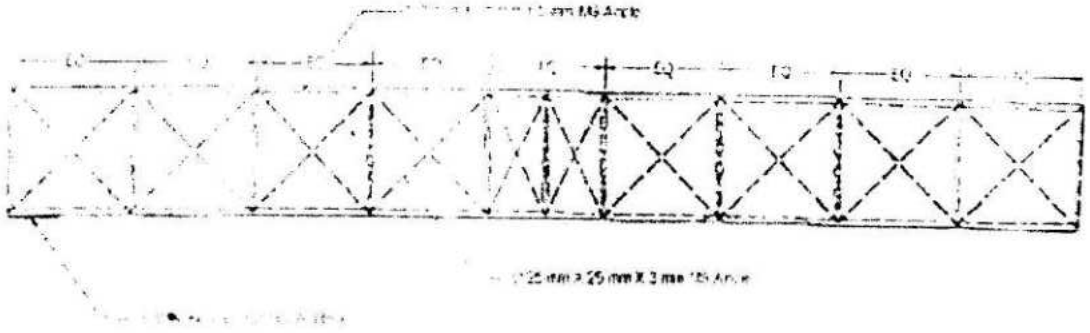

A.D. ABHYANKAR
B.E. (Civil Engineer) M.I.E.
Chartred Engineer (Indore)
Regd. No. 8903

Dr. Juned Raheem
Assistant Professor and Consultant
Department of Civil Engineering
MANIT Bhopal

49

(321)

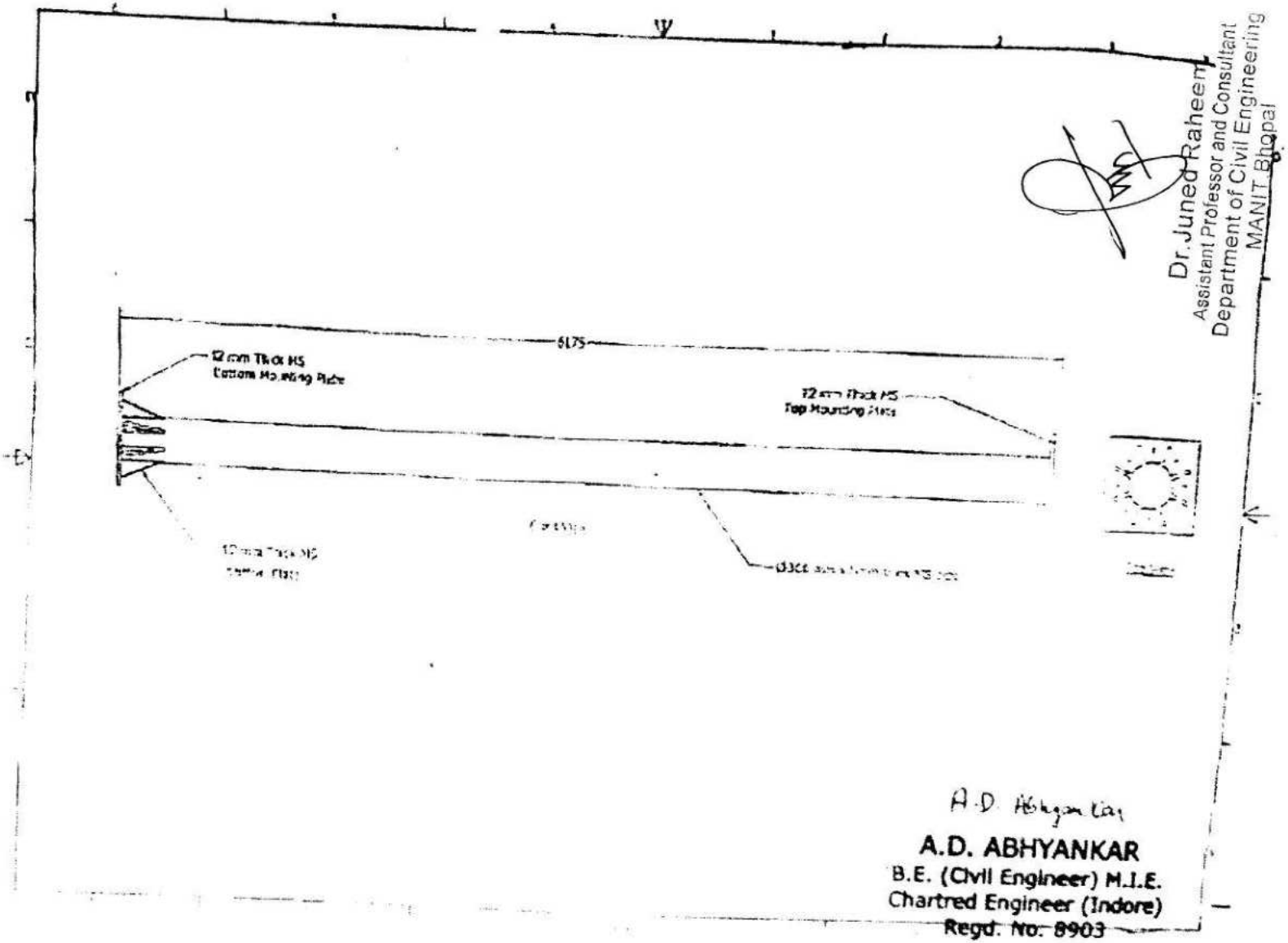
6175
12 mm Thick MS
Bottom Mounting Plate
12 mm Thick MS
Top Mounting Plate
Carriage
A.D. Abhyankar
A.D. ABHYANKAR
B.E. (Civil Engineer) M.I.E.
Chartred Engineer (Indore)
Regd. No. 8903
Dr. Juned Raheem
Assistant Professor and Consultant
Department of Civil Engineering
MANIT Bhopal

65

320

Dimensioning of bolts locations and proper design of foundation as per the site condition shall be made.

Dr. Juned Raheem
Assistant Professor and Consultant
Department of Civil Engineering
MANIT Bhopal

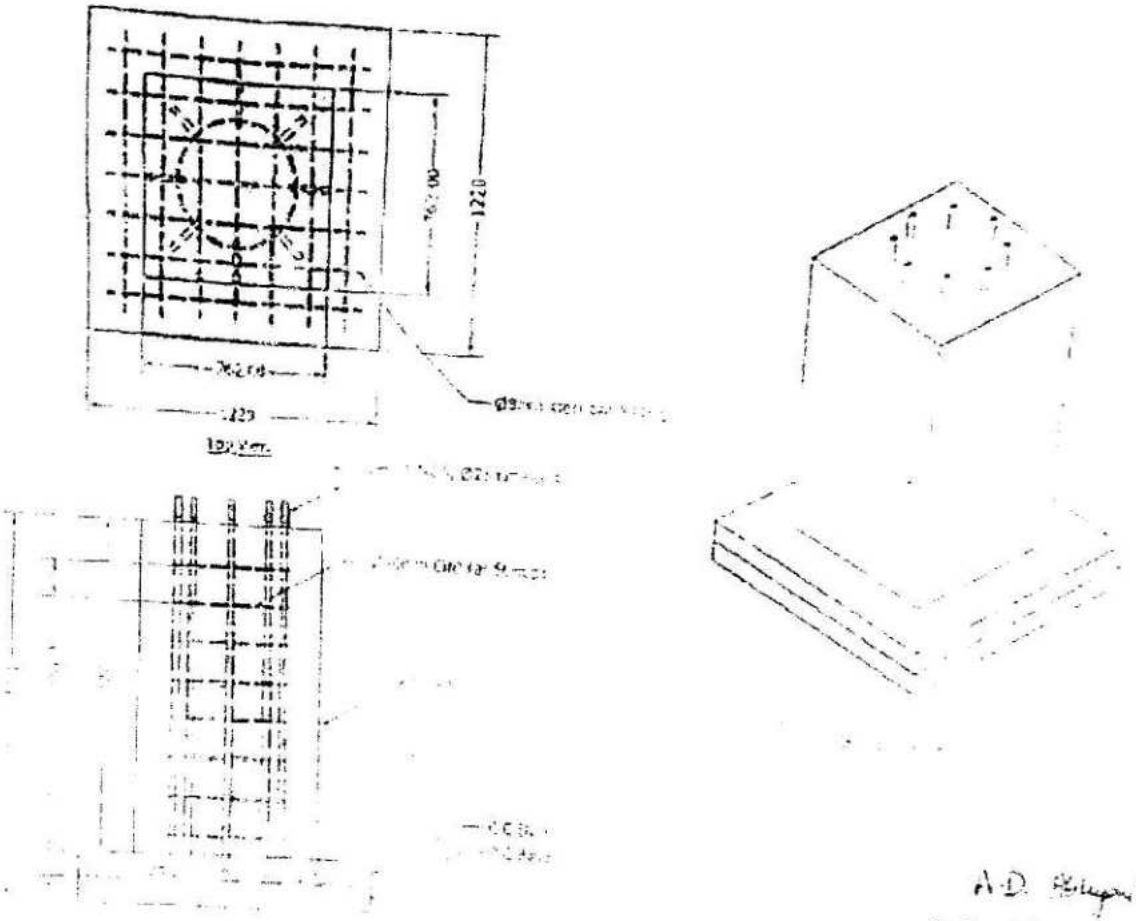

A.D. Abhyankar

A.D. ABHYANKAR
B.E. (Civil Engineer) M.I.E.
Chartred Engineer (Indore)
Regd. No. 8903

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2434 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S VIMSHUBH INDUSTRIES INDIA PVT. LTD. OFFICE ADDRESS : PLOT NO. 85, SECTOR-1, INDUSTRIAL AREA, GOVINDPURA, BHOPAL - 462023
CONTECT PERSON - MR. ANIL KUMAR SHRIVASTAVA : 8878916788

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	**206192**	**37115**	**243307**	**206192**	**10310**	**38970**	**255472**
2	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	**212985**	**38337**	**251322**	**212985**	**10649**	**40254**	**263888**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग / संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान –** प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग / केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी :** आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते :** उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :- 2435 / 15-9-25

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S VIMSHUBH INDUSTRIES INDIA PVT. LTD. OFFICE ADDRESS** : PLOT NO. 85, SECTOR-1, INDUSTRIAL AREA, GOVINDPURA, BHOPAL - 462023

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2436 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय–विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S KPL EQUIPMENTS PVT. LTD. ADDRESS : PLOT NO - 20 AKVN ACHARRPUR INTHKHEDI BHOPAL **CONTECT PERSON**-LAKHAN THAKUR : MOB - 9827811197

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SHELTER **MODEL 4** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	193756	34876	228632	193756	9688	36620	240064
SWAGAT DWAR								
2	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	206192	37115	243307	206192	10310	38970	255472
3	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR **MODEL 2** WITHOUT SOLAR LIGHT	193536	34836	228372	193536	9677	36578	239791
4	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	212985	38337	251322	212985	10649	40254	263888

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी. ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग/संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Pvt. Ltd. BHOPAL

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

2437
17-9-25

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S KPL EQUIPMENTS PVT. LTD. ADDRESS :** PLOT NO - 20 AKVN ACHARRPUR INTHKHEDI BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎ - 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2430 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S ASHIYANA STEEL FARICATION, ADDRESS : SHRI KRISHNA MANDIR KE PASS RAMKUI GATE BALI SADAK, LASHKAR GWALIOR (MP)
CONTECT POESON- MR. SHAKIR KHAN - PROPRIETOR - MOB - 9827244149

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER **MODEL 3** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	184800	33264	218064	184800	9240	34927	228967
2	PRE FABRICATED BUS SHELTER **MODEL 4** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	193756	34876	228632	193756	9688	36620	240064
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	206192	37115	243307	206192	10310	38970	255472
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR **MODEL 2** WITHOUT SOLAR LIGHT	193536	34836	228372	193536	9677	36578	239791
3	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	212985	38337	251322	212985	10649	40254	263888

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 3

4. सामग्री की गुणवत्ता –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग/संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. भुगतान – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. तकनीकी मापदण्ड : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. अधिरोपित शास्ति : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

2439
17-9-25

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S ASHIYANA STEEL FARICATION, ADDRESS :** SHRI KRISHNA MANDIR KE PASS RAMKUI GATE BALI SADAK, LASHKAR GWALIOR (MP)

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2540 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S BALAJI ENTERPRISES ADDRESS : 6/5 CHOTI GWALTOLI INDORE **CONTECT PERSON**- MR. ANSHUL MITTAL MOB- 9827728815, 7999553033

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	**206192**	**37115**	**243307**	**206192**	**10310**	**38970**	**255472**
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR **MODEL 2** WITHOUT SOLAR LIGHT	**193536**	**34836**	**228372**	**193536**	**9677**	**36578**	**239791**
3	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	**212985**	**38337**	**251322**	**212985**	**10649**	**40254**	**263888**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी. ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग / संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग / क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :- 2541 / 17-9-25

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S BALAJI ENTERPRISES ADDRESS** : 6/5 CHOTI GWALTOLI INDORE

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2410 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S R.K. INDUSTRIES, ADDRESS - 19/1, 20/2 NARELI ARCUDE MANORAMAGANJ INDORE (MP) **CONTACT PERSON** - MR. KHUSRO NISAR : 9826036295

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER **MODEL 3** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	184800	33264	218064	184800	9240	34927	228967
2	PRE FABRICATED BUS SHELTER **MODEL 4** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	193756	34876	228632	193756	9688	36620	240064
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	206192	37115	243307	206192	10310	38970	255472
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR **MODEL 2** WITHOUT SOLAR LIGHT	193536	34836	228372	193536	9677	36578	239791
3	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	212985	38337	251322	212985	10649	40254	263888

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 3

सामग्री की गुणवत्ता –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग/संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई.टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :– 2511 / 17-9-25

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S R.K. INDUSTRIES, ADDRESS** - 19/1, 20/2 NARELI ARCUDE ANORAMAGANJ INDORE (MP)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2426 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S HINDUSTAN FABRICATORS ADDRESS : B-13 SHIVAJI NAGAR, BHOPAL - 462016
CONTECT PERSON : MR.ABHISHEK GOUD - 9039099059

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SHELTER **MODEL 4** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	**193756**	**34876**	**228632**	**193756**	**9688**	**36620**	**240064**
SWAGAT DWAR								
2	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	**206192**	**37115**	**243307**	**206192**	**10310**	**38970**	**255472**
3	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	**212985**	**38337**	**251322**	**212985**	**10649**	**40254**	**263888**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी. ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग/संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी :** आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

2427
17-9-25

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S HINDUSTAN FABRICATORS ADDRESS** : B-13 SHIVAJI NAGAR, BHOPAL - 462016

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2388 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S MAHALAXMI INDUSTRIES, - KANJIYA ROAD KHIMLASA KHURAI DISTT - SAGAR 470118 **CONTECT POESON-** MR. NARAYAN SINGH MO - 9981471295

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 1 WITHOUT SOLAR LIGHT	134624	24232	158856	134624	6731	25444	166799
2	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 2 WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	157024	28264	185288	157024	7851	29678	194553
3	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 3 WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	184800	33264	218064	184800	9240	34927	228967
4	PRE FABRICATED BUS SHELTER MODEL 4 WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	193756	34876	228632	193756	9688	36620	240064
5	PRE FABRICATED BUS SHELTER MODEL 5 WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	153966	27714	181680	153966	7698	29100	190764
6	PRE FABRICATED BUS SHELTER MODEL 6 WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	153865	27696	181561	153865	7693	29080	190639

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 1 WITHOUT SOLAR LIGHT	206192	37115	243307	206192	10310	38970	255472
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR MODEL 2 WITHOUT SOLAR LIGHT	193536	34836	228372	193536	9677	36578	239791
3	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 3 WITH SOLAR LIGHT	212985	38337	251322	212985	10649	40254	263888

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी. ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

   (अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

   (द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

   (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग/संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई.टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. <u>भुगतान</u> – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत <u>"भुगतान पश्चात् भुगतान"</u> की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. <u>तकनीकी मापदण्ड</u> : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

2389
17-9-25

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S MAHALAXMI INDUSTRIES,** - KANJIYA ROAD KHIMLASA KHURAI DISTT - SAGAR 470118

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

दिनांक : 17.09.2025

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2390

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S NEW MALWA AGRO & FABRICATORS - ADDRESS - 81 BASANT VIHAR, DHAR
CONTECT PERSON - MR. MUJIB UR REHMAN KHAN - MOB - 9425046639

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 1 WITHOUT SOLAR LIGHT	134624	24232	158856	134624	6731	25444	166799
2	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 2 WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	157024	28264	185288	157024	7851	29678	194553
3	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 3 WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	184800	33264	218064	184800	9240	34927	228967
4	PRE FABRICATED BUS SHELTER MODEL 4 WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	193756	34876	228632	193756	9688	36620	240064
5	PRE FABRICATED BUS SHELTER MODEL 5 WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	153966	27714	181680	153966	7698	29100	190764
6	PRE FABRICATED BUS SHELTER MODEL 6 WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	153865	27696	181561	153865	7693	29080	190639

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 1 WITHOUT SOLAR LIGHT	206192	37115	243307	206192	10310	38970	255472
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR MODEL 2 WITHOUT SOLAR LIGHT	193536	34836	228372	193536	9677	36578	239791
3	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 3 WITH SOLAR LIGHT	212985	38337	251322	212985	10649	40254	263888

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :-

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी. ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

   (अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

   (द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

   (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग/संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई.टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. <u>भुगतान</u> – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **<u>"भुगतान पश्चात् भुगतान"</u>** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. <u>तकनीकी मापदण्ड</u> : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :– 2391 / 17-9-25

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S NEW MALWA AGRO & FABRICATORS** - 81 BASANT VIHAR, DHAR

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2392 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय–विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S NANDLAL STEEL INDUSTRIES, ADDRESS - PLOT NO. 02, INDUSTRIAL AREA, CHHATARPUR (MP) - 471001 **CONTECT PERSON** - MR. ABHISHEK MADAAN : MOB - 9425140746 E-MAIL : nandlalsteelindustries@gmail.com

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER **MODEL 3** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	**184800**	**33264**	**218064**	**184800**	**9240**	**34927**	**228967**
2	PRE FABRICATED BUS SHELTER **MODEL 4** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	**193756**	**34876**	**228632**	**193756**	**9688**	**36620**	**240064**
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	**206192**	**37115**	**243307**	**206192**	**10310**	**38970**	**255472**
2	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	**212985**	**38337**	**251322**	**212985**	**10649**	**40254**	**263888**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी. ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग/संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

8. **वारण्टी :** आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

2393
17-9-25

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खदय प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S NANDLAL STEEL INDUSTRIES, ADDRESS** - PLOT NO. 02, INDUSTRIAL AREA, CHHATARPUR (MP) - 471001

प्रबंधक (विपणन)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2394 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S PUNA IRON INDUSTRIES, OFFICE ADDRESS : IN FRONT OF PANDEY BUILDING, BADABAGH, NEEM CHOWK REWA (MP) **CONTECT** - RAMAKANT PANDEY : 9090871100

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER **MODEL 3** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	184800	33264	218064	184800	9240	34927	228967
2	PRE FABRICATED BUS SHELTER **MODEL 4** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	193756	34876	228632	193756	9688	36620	240064
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	206192	37115	243307	206192	10310	38970	255472
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR **MODEL 2** WITHOUT SOLAR LIGHT	193536	34836	228372	193536	9677	36578	239791
3	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	212985	38337	251322	212985	10649	40254	263888

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

---- 2

आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 3

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी. ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग/संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

M P State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

GSTIN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख

8. **वारण्टी :** आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

2395
17-9-25

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S PUNA IRON INDUSTRIES, OFFICE ADDRESS** : IN FRONT OF PANDEY BUILDING, BADABAGH, NEEM CHOWK REWA (MP)

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎ - 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2396 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय–विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S SADGURU SAI INFRA WORLD, PVT. LTD. NEAR AIP AAY VARG SOCIETY OFFICE, SANJAY NAGAR, REWA - 486001 (MP) **CONTACT** -UDAY PRAKASH SINGH : 8085253636

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	**206192**	**37115**	**243307**	**206192**	**10310**	**38970**	**255472**
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR **MODEL 2** WITHOUT SOLAR LIGHT	**193536**	**34836**	**228372**	**193536**	**9677**	**36578**	**239791**
3	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	**212985**	**38337**	**251322**	**212985**	**10649**	**40254**	**263888**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग / संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग / क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

2397
17-9-25

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S SADGURU SAI INFRA WORLD, PVT. LTD. OFFICE ADDRESS** - NEAR AIP AAY VARG SOCIETY OFFICE, SANJAY NAGAR, REWA - 486001 (MP)

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎ 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2398 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय–विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S SHREE VASHNAV INDUSTRIES,
ADDRESS : 63-64, SECTOR-H, INDUSTRIAL AREA, GOVINDPURA, BHOPAL - 462023
CONTECT PERSON- MR. UDAY PRATAP SINGH, PROPRIETOR : 9826902158

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	**206192**	**37115**	**243307**	**206192**	**10310**	**38970**	**255472**
2	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	**212985**	**38337**	**251322**	**212985**	**10649**	**40254**	**263888**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग / संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग / क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

2399
17-9-25

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S SHREE VASHNAV INDUSTRIES, ADDRESS :** 63-64, SECTOR-H, INDUSTRIAL AREA, GOVINDPURA, BHOPAL - 462023

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2400 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय–विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S SHREE FEB CHEM INDUSTRIES,
OFFICE ADDRESS : 51, UDYOG VIHAR CHORAHATA REWA - 486001
CONTECT PERSON - MR. SHAILENDRA PANDAY : 9425185379

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER **MODEL 3** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	184800	33264	218064	184800	9240	34927	228967
2	PRE FABRICATED BUS SHELTER **MODEL 4** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	193756	34876	228632	193756	9688	36620	240064
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	206192	37115	243307	206192	10310	38970	255472
2	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	212985	38337	251322	212985	10649	40254	263888

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. दरों की प्रभावशीलता : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

आदेश की प्रक्रिया : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

---- 3

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. * BHOPAL *

4. सामग्री की गुणवत्ता –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग/संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई.टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. भुगतान – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. तकनीकी मापदण्ड : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. अधिरोपित शास्ति : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

2401
17-9-25

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खदय प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S SHREE FEB CHEM INDUSTRIES, OFFICE ADDRESS** : 51, UDYOG VIHAR CHORAHATA REWA - 486001

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2462 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय–विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S SINGRAUL MOTORS, - SHED NO 3, TYPE-D, SECTOR-I, GOVINDPURA, BHOPAL (MP)
CONTECT PERSON- MR. SAURABH SINGH SINGHROUL, MOB - 9424907533
G-MAIL : mr.saurabhsingh99@gmail.com

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER **MODEL 3** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	184800	33264	218064	184800	9240	34927	228967
2	PRE FABRICATED BUS SHELTER **MODEL 4** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	193756	34876	228632	193756	9688	36620	240064
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	206192	37115	243307	206192	10310	38970	255472
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR **MODEL 2** WITHOUT SOLAR LIGHT	193536	34836	228372	193536	9677	36578	239791
3	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	212985	38337	251322	212985	10649	40254	263888

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

दरों की प्रभावशीलता : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

आदेश की प्रकिया : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

सामग्री की गुणवत्ता –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी. ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग/संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. भुगतान – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. तकनीकी मापदण्ड : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. अधिरोपित शास्ति : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :- 2403 / 17-9-25

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S SINGRAUL MOTORS,** - SHED NO 3, TYPE-D, SECTOR-I, GOVINDPURA, BHOPAL

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. * BHOPAL *

प्रबंधक (विपणन)

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2404 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S ANSH KRISHI UDYOG AND FEBRICATERS : INFRONT INDIAN GAS GODAM, MAIDANI HUZUR REWA(MP)-486001 **CONTECT** - SMT YOGITA SINGH MO-9131889282

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SHELTER **MODEL 4** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	193756	34876	228632	193756	9688	36620	240064
SWAGAT DWAR								
2	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	206192	37115	243307	206192	10310	38970	255472

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी. ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

M.P. State Agro Ind. Development Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एक्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बॉडीज (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग / संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग / केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. M.P. BHOPAL

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :- 2405 / 17-9-25

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S ANSH KRISHI UDYOG AND FEBRICATERS :** INFRONT INDIAN GAS GODAM, MAIDANI HUZUR REWA(MP)-486001

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. * BHOPAL *

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2406 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S A-ONE WELDING WORKS, BALWADI,TEHSIL SENDHWA WARLA ROAD, DISTT. BADWANI (MP) - 451666 **CONTECT PERSON** - MR.SAIFFUDDIN MO-9090919158

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	206192	37115	243307	206192	10310	38970	255472
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR **MODEL 2** WITHOUT SOLAR LIGHT	193536	34836	228372	193536	9677	36578	239791
3	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	212985	38337	251322	212985	10649	40254	263888

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग / संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग / क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

2467
17-9-25

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S A-ONE WELDING WORKS,** BALWADI,TEHSIL SENDHWA WARLA ROAD, DISTT. BADWANI (MP) - 451666

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2408 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S GANGA INDUSTRIES
ADDRESS - NEAR KRISHI UPAJ MANDI, A.B. ROAD, DEWAS - 455001 (MP)
CONTECT PERSON - MR. MANOJ RAJANI : 9425048585

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	**206192**	**37115**	**243307**	**206192**	**10310**	**38970**	**255472**
2	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	**212985**	**38337**	**251322**	**212985**	**10649**	**40254**	**263888**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी. ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग / संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग / क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :– 2409 / 17-9-25

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खदय प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S GANGA INDUSTRIES, ADDRESS** - NEAR KRISHI UPAJ MANDI, A.B. ROAD, DEWAS - 455001 (MP)

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2412 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S MAHALAXMI SOLAR ENTERPRISES -
ADDRESS : VILLAGE POST KHIMLASA TEHSIL KHURAI DISTT -SAGAR 470118
CONTECT POESON- MR. NARAYAN SINGH MOB - 9981471295

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 1 WITHOUT SOLAR LIGHT	134624	24232	158856	134624	6731	25444	166799
2	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 2 WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	157024	28264	185288	157024	7851	29678	194553
3	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 3 WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	184800	33264	218064	184800	9240	34927	228967
4	PRE FABRICATED BUS SHELTER MODEL 4 WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	193756	34876	228632	193756	9688	36620	240064
5	PRE FABRICATED BUS SHELTER MODEL 5 WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	153966	27714	181680	153966	7698	29100	190764
6	PRE FABRICATED BUS SHELTER MODEL 6 WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	153865	27696	181561	153865	7693	29080	190639

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 1 WITHOUT SOLAR LIGHT	206192	37115	243307	206192	10310	38970	255472
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR MODEL 2 WITHOUT SOLAR LIGHT	193536	34836	228372	193536	9677	36578	239791
3	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 3 WITH SOLAR LIGHT	212985	38337	251322	212985	10649	40254	263888

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी. ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

   (अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

   (द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

   (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग/संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई.टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. <u>भुगतान</u> – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत <u>"भुगतान पश्चात् भुगतान"</u> की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. <u>तकनीकी मापदण्ड</u> : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

2413
17-9-25

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S MAHALAXMI SOLAR ENTERPRISES - ADDRESS :** VILLAGE POST KHIMLASA TEHSIL KHURAI DISTT -SAGAR 470118

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2420 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय–विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S MANISH FABRICATION, NEW OLD FORT, GOURJHA-MAR, DISTT. SAGAR - 470223 (MP) **CONTECT PERSON-** RAJKUMAR VISHWAKARMA : 9893343199, 7000296652

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	206192	37115	243307	206192	10310	38970	255472
2	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	212985	38337	251322	212985	10649	40254	263888

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

   (अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

---- 2

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग / संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग / केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

M.P. State Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 4

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :- 2421 / 17-9-25

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S MANISH FABRICATION,** NEW OLD FORT, GOURJHA-MAR, DISTT. SAGAR - 470223 (MP)

प्रबंधक (विपणन)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2414 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S SHRI SHIV SHAKTI KRISHI YANTRA - ADDRESS : KHIMLASA (KHURAI) DISTT. SAGAR (MP) **CONTECT PERSON** - MANISH RICHARIYA - 9893549074

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SHELTER **MODEL 4** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	193756	34876	228632	193756	9688	36620	240064
SWAGAT DWAR								
2	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	206192	37115	243307	206192	10310	38970	255472
3	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR **MODEL 2** WITHOUT SOLAR LIGHT	193536	34836	228372	193536	9677	36578	239791
4	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	212985	38337	251322	212985	10649	40254	263888

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी. ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग/संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

---- 4

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

2415
17-9-25

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S SHRI SHIV SHAKTI KRISHI YANTRA - ADDRESS :** KHIMLASA (KHURAI) DISTT. SAGAR (MP)

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2416 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S ANIL INDUSTRIES : P. HALKA NO. 6 49/2, KANJIA ROAD, KHIMLASA (KHURAI) DISTT. SAGAR (MP) - 470118 **CONTECT PERSON-** MR. ANIL RICHARIYA, 9993180433

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	206192	37115	243307	206192	10310	38970	255472
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR **MODEL 2** WITHOUT SOLAR LIGHT	193536	34836	228372	193536	9677	36578	239791
3	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	212985	38337	251322	212985	10649	40254	263888

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी. ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग / संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग / केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :- 2417 / 17-9-25

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S ANIL INDUSTRIES :** P. HALKA NO. 6 49/2, KANJIA ROAD, KHIMLASA (KHURAI) DISTT. SAGAR (MP) - 470118

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2418 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S PALAK AGRO INDUSTRIES, G FLOOR PLOT NO. 10 KHASRA NUMBER 273, GRAM GENHUKHEDA, KOLAR ROAD, BHOPAL **CONTECT** - MR. YASH NAGAR, MOB - 9425458731

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER **MODEL 3** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	184800	33264	218064	184800	9240	34927	228967
2	PRE FABRICATED BUS SHELTER **MODEL 4** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	193756	34876	228632	193756	9688	36620	240064
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	206192	37115	243307	206192	10310	38970	255472
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR **MODEL 2** WITHOUT SOLAR LIGHT	193536	34836	228372	193536	9677	36578	239791
3	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	212985	38337	251322	212985	10649	40254	263888

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. दरों की प्रभावशीलता : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 3

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी. ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग/संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

2419
17-9-25

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S PALAK AGRO INDUSTRIES,** G FLOOR PLOT NO. 10 KHASRA NUMBER 273, GRAM GENHUKHEDA, KOLAR ROAD, BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2422 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S JAI RAM TROLLY, ADDRESS - BUILDING NO. / FLAT NO.
OLD NO. 329101, VILLAGE MAIDANI REWA (MP) - 486001
CONTECT PERSON- MR. JAI SINGH GAHARWAR MO - 9325202793

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SHELTER **MODEL 4** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	193756	34876	228632	193756	9688	36620	240064
SWAGAT DWAR								
2	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	206192	37115	243307	206192	10310	38970	255472

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. <u>दरों की प्रभावशीलता</u> : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

2. <u>आदेश की प्रक्रिया</u> : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी. ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग/संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. LTD. BHOPAL

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :- 2423 / 17-9-25

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S JAI RAM TROLLY, ADDRESS** - BUILDING NO. / FLAT NO. OLD NO. 329101, VILLAGE MAIDANI REWA (MP) - 486001

प्रबंधक (विपणन)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2424 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S RAJ CHEMICAL INDUSTRIES ADDRESS : PLOT NO. 26-27, BAILGADI INDUSTRIAL AREA, MAHOBA BYPASS ROAD, CHHATARPUR (M.P.)
CONTECT PERSON - MR. RAJDEEP RICHHARIYA: 9617796889

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	206192	37115	243307	206192	10310	38970	255472
2	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	212985	38337	251322	212985	10649	40254	263888

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी. ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग / संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग / केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी :** आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते :** उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :– 2425 / 17-9-25

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S RAJ CHEMICAL INDUSTRIES ADDRESS** : PLOT NO. 26-27, BAILGADI INDUSTRIAL AREA, MAHOBA BYPASS ROAD, CHHATARPUR (M.P.)

प्रबंधक (विपणन)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2428 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S TRUE VISION INC OFFICE ADDRESS : 205, PRAMILA PLAZA NEAR CHAUHAN PIYAU, THTIPUR, GWALIOR **CONTECT PERSON** - HARI MOHAN BOHRE : 7999019721

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER **MODEL 3** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	**184800**	**33264**	**218064**	**184800**	**9240**	**34927**	**228967**
2	PRE FABRICATED BUS SHELTER **MODEL 4** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	**193756**	**34876**	**228632**	**193756**	**9688**	**36620**	**240064**
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	**206192**	**37115**	**243307**	**206192**	**10310**	**38970**	**255472**
2	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	**212985**	**38337**	**251322**	**212985**	**10649**	**40254**	**263888**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd.

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्तें, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 3

4. सामग्री की गुणवत्ता –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी. ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग/संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. भुगतान – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. अधिरोपित शास्ति : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :- 2429 / 17-9-25

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S TRUE VISION INC OFFICE ADDRESS** : 205, PRAMILA PLAZA NEAR CHAUHAN PIYAU, THTIPUR, GWALIOR

प्रबंधक (विपणन)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2025–26 / 2430 दिनांक : 17.09.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S VIDUSHI ENTERPRISES, ADDRESS RATH ROAD, NARAYAN GANJ, HARPALPUR, DISTT. CHHATARPUR (MP) - 471111 **CONTECT PERSON** - KAVITA MADAAN : 9826840746 E-MAIL : vidushienterpriseshpp@gmail.com

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER **MODEL 3** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	184800	33264	218064	184800	9240	34927	228967
2	PRE FABRICATED BUS SHELTER **MODEL 4** WITH ONE 40 WATT LED LIGHT ON 6M HIGH POLE ALL IN ONE INTEGRATED LIGHT	193756	34876	228632	193756	9688	36620	240064
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	206192	37115	243307	206192	10310	38970	255472
2	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	212985	38337	251322	212985	10649	40254	263888

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. दरों की प्रभावशीलता : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **17.09.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **16.12.2025)** तक लागू रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी. ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग/संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 29.07.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय / स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

2431
17-9-25

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S VIDUSHI ENTERPRISES,** RATH ROAD, NARAYAN GANJ, HARPALPUR, DISTT. CHHATARPUR (MP) - 471111

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL